कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास
को समर्पित

वर्ष 57 अंक : 7 मई 2011 मूल्य : ₹ 10

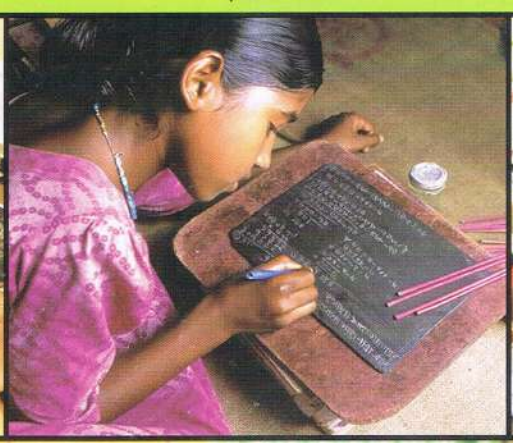

गांवों में शिक्षा

शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू

उनकी शहादत को सलाम

शहीदी दिवस, 23 मार्च

सत्यमेव जयते
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

KH-2/2011

22111/13/0059/1011

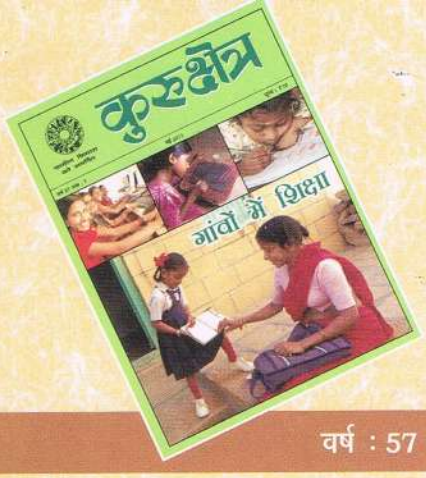

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 57 ★ मासिक अंक : 7 ★ पृष्ठ : 48 ★ वैशाख–ज्येष्ठ 1933 ★ मई 2011

प्रधान संपादक
नीता प्रसाद
वरिष्ठ संपादक
कैलाश चन्द मीना
संपादक
ललिता खुराना
संपादकीय पत्र–व्यवहार
वरिष्ठ संपादक,
कमरा नं. 655, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014, तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com
संयुक्त निदेशक
जे.के. चन्द्रा
व्यापार प्रबंधक
सूर्यकांत शर्मा
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516
ई–मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in
आवरण एवं सज्जा
संजीव सिंह और हेमन्त कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार — उमर फारूकी — 3

गांवों में शिक्षा प्रसार के अनौपचारिक प्रयास — सुभाष सेतिया — 8

गांवों में शैक्षिक विकास एवं चुनौतियां — सरिता यादव — 12

शिक्षा से वंचित समाज को जोड़ने की कोशिश — सुमन यादव — 19

ग्रामीण शिक्षा को समर्पित जीवन — पूरण चंद्र कुमावत — 24

शिक्षा के क्षेत्र में उभरता राजस्थान — नीलम शर्मा — 29

धान की उन्नत खेती से अधिक आमदनी — डॉ. यशबीर सिंह शिवे — 35

बैंगन बड़े काम की चीज — शरद कुमार पांडेय — 41

खेती की नई इबारत लिखते आदिवासी किसान — रघु शर्मा — 45

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

संपादकीय

देश के महान सपूत गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिशकालीन विधानसभा (इंपीरियल असेम्बली) में शिक्षा के अधिकार की बात कही थी। तब से लेकर आज तक इसे कानून का रूप देने के लिए चरणबद्ध तरीके से कई बदलाव किए गए। करीब छह दशक के सफर के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस कानून को लागू करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और अब बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा मिलेगी।

एक अप्रैल, 2010 से पूरे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को शत–प्रतिशत लागू कर दिया गया है। यह कानून शिक्षा हासिल करने को हर बच्चे का अधिकार बनाता है। अधिनियम सभी संबंधित सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी करता है कि हर बच्चा मुफ्त शिक्षा प्राप्त करे। अधिनियम में यह भी अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थानों को भी अपने यहां 25 फीसदी सीटें कमजोर तबके के लिए आरक्षित रखनी होंगी।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण इलाकों को मिल रहा है क्योंकि गांवों में अभी भी शिक्षा के प्रति जागरुकता का अभाव है। ड्रापआउट होने वाले और स्कूल न जाने वाले करीब 92 लाख बच्चे ग्रामीण इलाके से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाके की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में यह एक पहल है। इस कानून को लागू हुए अभी साल भर का ही वक्त बीता है कि इसका असर दिखने लगा है।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण इलाके में रह रहे लोगों को साक्षर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 1989 में शुरू की गई महिला समाख्या योजना, 15 अगस्त 1995 से आरंभ मध्यान्ह् भोजन योजना और 2001 में शुरू किया गया सर्वशिक्षा अभियान प्रमुख हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के जरिए किसानों के बीच अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अन्तर–मंत्रालयीन परियोजना बनाई गई जो किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यात्मक साक्षरता कहलाती है। साथ ही निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई।

गांवों में शिक्षा के प्रसार में गैर–सरकारी संगठन और व्यक्ति भी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनेक सेवाभावी व्यक्ति और स्वयंसेवी संगठन गांवों के गरीब और उपेक्षित बच्चों को साक्षर बनाने के लिए आगे आए हैं। इन लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बढ़िया कैरियर बनाने और धन कमाकर शहरों में ऐशो–आराम की जिंदगी बिताने का मोह त्यागकर गांवों में ज्ञान की लौ जगाने को अपने जीवन का मिशन बनाया है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में नए ढंग का अनौपचारिक शिक्षा प्रयास चल रहा है। हरदोई जिले के नटपुरवा गांव में एक स्थानीय युवक ने वेश्याओं के बच्चों को शिक्षा देने का क्रांतिकारी कदम उठाया है। झारखंड में भी महिला साक्षरता की दिशा में एक अभिनव प्रयास हो रहा है। एक अनूठे प्रयोग के अंतर्गत सचल पुस्तकालय चलाए गए हैं जो पाकुड़ जिले के महेशपुर विकासखंड के 30 गांवों में साक्षरता और अधिकार चेतना की लौ जला रहे हैं। इसी तरह बिहार के सीतामढ़ी जिले में जगजगी केंद्रों का उदाहरण उल्लेखनीय है। महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए गए ये केंद्र महिला साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में भी कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा बजट में 24 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 52,057 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण इलाके में शिक्षा के विस्तारीकरण की दृष्टि से केंद्र सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षा में 40 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 21 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किए है। साथ ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु उनका मानदेय दुगुना कर दिया गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा का भी ग्रामीण इलाके में प्रसार हो, इसके लिए भी चालू वित्तीय वर्ष में कई प्रावधान किए गए हैं।

हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के ज्यादातर लोग सुदूर ग्रामीण इलाके में ज्यादातर जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे रहते हैं। इस वजह से यह वर्ग स्कूली शिक्षा से वंचित है। इस वर्ग को ध्यान में रखकर भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्ययोजना (पीओए) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की वर्तमान योजनाओं में कई प्रावधान किए गए हैं।

संक्षेप में कहा जाए तो भारत की तस्वीर आने वाले समय में काफी बेहतर होगी। ग्रामीण इलाकों में जहां आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है वहीं साक्षरता का ग्राफ भी बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनमें कम से कम आठवीं अथवा हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है। ऐसे में जब अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग न्यूनतम शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे तो इन योजनाओं का उन्हें भी लाभ मिलेगा।

शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार

उमर फारूकी

केंद्र सरकार हर व्यक्ति को साक्षर ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा देकर स्वावलंबी बनाना चाहती है। यही वजह है कि सरकार की ओर से ऐसा कानून लागू किया गया, जिसमें हर बच्चा कानूनन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। इससे अब हर बच्चे को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकारें विवश होंगी। यानी शिक्षा के नाम पर अब किसी तरह की कोताही नहीं होगी। एक अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को शत–प्रतिशत लागू कर दिया गया है। सालभर में इसका असर भी दिखने लगा है। ज्यादातर राज्य अधिनियम में दिए गए निर्देशों के तहत शिक्षा व्यवस्था लागू कर चुके हैं। जिन राज्यों में कुछ दिक्कतें सामने आ रही थीं, उसे दूर करते हुए इस सत्र में व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने का सबसे अधिक फायदा ग्रामीण इलाकों को मिल रहा है क्योंकि गांवों में अभी भी शिक्षा के प्रति जागरुकता का अभाव है। ड्रापआउट होने वाले और स्कूल न जाने वाले करीब 92 लाख बच्चे ग्रामीण इलाके से ही ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाके की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक पहल हुई है। इस कानून को लागू हुए अभी सालभर का ही वक्त बीता है कि इसका असर दिखने लगा है।

देश के महान सपूत गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश कालीन विधानसभा (इंपीरियल असेंबली) में शिक्षा के अधिकार की बात कही थी। तब से लेकर आज तक इसे कानून का रूप देने के लिए चरणबद्ध तरीके से कई बदलाव किए गए। करीब छह दशक के सफर के बाद अब इसे अमलीजामा पहनाया जा सका है। इस कानून को लागू करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और अब बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा मिलेगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के

लिए प्रतिबद्ध है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो। नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं और उन्हीं पर खुशहाल और मजबूत भारत निर्भर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस कानून को लागू कर अपने वादे को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून यह दिखाता है कि हम बच्चों के भविष्य को कितनी अहमियत देते हैं। हमारी सरकार, राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ यह सुनिश्चित करेगी कि शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने में धन की कमी आड़े न आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह आज जो कुछ भी हैं, शिक्षा की वजह से हैं। उन्होंने देशवासियों से शिक्षा का अधिकार कानून को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। निश्चित रूप से कोई भी अभियान संयुक्त भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार के बाध्यकारी कानून से जहां राज्य सरकारें इस दिशा में अग्रसर हैं वहीं हर व्यक्ति को इसमें अपने स्तर पर सहयोग करना चाहिए।

केंद्र सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देकर ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब इसका असर भी तेजी से दिखने लगा है। सभी राज्य सरकारें ऐसे प्रावधान कर रही हैं, जिसके जरिए इस कानून की पालना हो सके। इतना ही नहीं राजस्थान सहित ज्यादातर राज्य सरकारों ने इस वर्ष के अपने बजट में इस कानून की पालना को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पैसों का भी प्रावधान किया है। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने के करीब 8 साल बाद सरकार ने 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक कानून लागू किया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले 86वें संविधान संशोधन को संसद ने वर्ष 2002 में पारित किया था। इस मौलिक अधिकार को लागू कराने वाले कानून बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अधिनियम को संसद ने पिछले साल पारित किया। संविधान संशोधन विधेयक और नया कानून दोनों अब लागू हो चुका है। नए कानून के तहत राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए अब यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा कि हर बच्चा नजदीकी स्कूल में शिक्षा हासिल करे। यह कानून सीधे–सीधे करीब उन 92 लाख बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जो इस समय स्कूल नहीं जा रहे हैं। उन बच्चों को, जो बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं या कभी किसी शिक्षण संस्थान में नहीं रहे, स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। फिलहाल गत वर्ष तक छह से 14 आयु वर्ग के संबंधित वर्गों में करीब 22 करोड़ बच्चे थे। इसमें 92 लाख बच्चे वे हैं जो स्कूल नहीं जाते।

हालांकि केंद्र सरकार की ओर से यह भरोसा दिया जा रहा है कि इस वर्ष इस लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त कर लेंगे। इस तरह देखा जाए तो इस कानून के लागू होने के बाद यूपीए सरकार के खाते में सूचना का अधिकार कानून और 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के साथ ही एक और बड़ी उपलब्धि शामिल हो गई है। इस कानून के लागू होने के बाद खासतौर से उन राज्यों को ज्यादा फायदा होगा, जहां अभी तक शिक्षा के मामले में लापरवाही बरती जा रही है क्योंकि आज भी देश में करीब 17000 गांव ऐसे हैं, जहां एक किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं है। इन गांवों में केंद्र सरकार की पहल ने अब एक रोशनी दिखाई है। उत्तर भारत के दो बड़े राज्यों – उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो यही स्थिति चिंताजनक है। अकेले उत्तर प्रदेश में छह से चौदह साल की उम्र के करीब पौने छह करोड़ बच्चों में लगभग पौने चार करोड़ सरकारी स्कूलों में हैं। जाहिर है शेष निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर स्कूल जाते ही नहीं। लेकिन राज्य सरकार को प्राथमिक शिक्षा बोझ लगती है। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक पर औसतन 51 बच्चे हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एक शिक्षक पर 31 छात्र हैं।

ग्रामीण इलाके को ज्यादा फायदा

इस कानून का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण इलाके को मिलेगा क्योंकि स्कूल बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की संख्या ग्रामीण इलाके में ज्यादा होती है। वे कुछ समय पढ़ाई करने के बाद विभिन्न कारणों से काम–धंधे में जुट जाते हैं। ऐसे में इस

कानून के लागू होने के बाद देश के करीब 92 लाख उन बच्चों को दोबारा स्कूल ले जाया जा रहा है जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे।

कानून के तहत शिक्षा अनिवार्य

यह कानून शिक्षा हासिल करने को हर बच्चे का अधिकार बनाता है। अधिनियम सभी संबंधित सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना बाध्यकारी करता है कि हर बच्चा मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करे। अधिनियम में यह भी अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थानों को भी अपने यहां 25 फीसदी सीटें कमजोर तबके के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी।

5 साल में 1.71 लाख करोड़ की जरूरत

वित्त आयोग ने इस अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों को 25 हजार करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। सरकार के अनुमान के अनुसार इस कानून को लागू करने के लिए अगले पांच साल में 1.71 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

25 फीसदी सीटें आरक्षित

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि सभी निजी और अल्पसंख्यक स्कूलों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करनी होंगी और यदि कोई भी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। श्री सिब्बल ने सदन में बताया कि कक्षा एक से आठ तक में गरीब बच्चों के लिए चौथाई सीटें अनिवार्य थीं लेकिन कक्षा एक में आरक्षण वर्ष 2011 से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कक्षा आठ तक आरक्षण को बढ़ाने में आठ साल का समय लग जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक संस्था स्वयं ही आरक्षण देगी। अल्पसंख्यक समुदायों में भी वंचित वर्ग के लोग हैं और वह भी राष्ट्रीय विकास का हिस्सा होंगे।

ऐसे होगी पहचान

इस कानून के लागू होने के बाद स्कूल प्रबंधन समिति या स्थानीय प्रशासन छह साल से ऊपर के स्कूल छोड़ने वाले या कभी स्कूल नहीं गए बच्चों की पहचान करेगा और उनकी उम्र के अनुसार उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने के बाद कक्षाओं में भर्ती कराया जाएगा।

अधिनियम का इतिहास

दिसंबर 2002– अनुच्छेद 21 ए (भाग 3) के माध्यम से 86 वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया।

अक्तूबर 2003– उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून, मसलन बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार कर अक्तूबर 2003 में इसे वेबसाइट पर डाला गया और आम लोगों से इस पर राय और सुझाव आमंत्रित किए गए।

2004– मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारूप तैयार कर वेबसाइट पर डाला गया।

जून 2005– केंद्रीय शिक्षा सलाहकार पार्षद समिति ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे नैक के पास भेजा, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं। नैक ने इस विधेयक को प्रधानमंत्री के ध्यानार्थ भेजा।

14 जुलाई, 2006 – वित्त समिति और योजना आयोग ने विधेयक को कोष के अभाव का कारण बताते हुए नामंजूर कर दिया और एक मॉडल विधेयक तैयार कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्यों को भेजा। (76वें संशोधन के बाद राज्यों ने राज्य स्तर पर कोष की कमी की बात कही थी।)

19 जुलाई 2006 – सीएसीएल, एसएएफई, एनएएफआरई और केब ने आईएलपी तथा अन्य संगठनों को योजना बनाने, बैठक करने तथा संसद की कार्यवाही के प्रभाव पर विचार करने व भावी रणनीति तय करने और जिला तथा ग्राम स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार के लिए आमंत्रित किया।

यह कानून क्यों महत्वपूर्ण है

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि हरेक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और वह इसे राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से पूरा करे। विश्व के कुछ ही देशों में मुफ्त और बच्चों पर केन्द्रित तथा मित्रवत शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय प्रावधान मौजूद है।

अभिभावकों की भूमिका

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारत के इतिहास में पहली बार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है जिसे राज्य द्वारा परिवार और समुदायों की सहायता से किया जाएगा। स्कूल स्थानीय अधिकरण, अधिकारियों, माता–पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को मिलाकर स्कूल प्रबंधन समितियां (एसएमसी) बनाएंगे। ये एसएमसी स्कूल के विकास के लिए योजनाएं बनाएंगी और सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का इस्तेमाल करेंगी और पूरे स्कूल के वातावरण को नियंत्रित करेंगी। आरटीई में यह घोषित है कि एसएमसी में वंचित तबकों से आने वाले बच्चों के माता–पिता और 50 फीसदी महिलाएं होनी चाहिए। इस तरह के समुदायों की भागीदारी लड़कियों और लड़कों के लिए अलग–अलग शौचालय सुविधाओं, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान के जरिए पूरे स्कूल के वातावरण को बाल मित्रवत बनाने को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण होगी।

आरटीई का मुख्य उद्देश्य

आरटीई कानून एक अप्रैल से लागू हो गया है। आरटीई आरक्षित तबकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे किसी अन्य विशिष्टिता वाले सभी बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराता है। आरटीई शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता पर केन्द्रित है जिसे निरंतर प्रयास और सतत सुधारों की जरूरत होती है। दस लाख से अधिक नए और अप्रशिक्षित शिक्षकों को अगले 5 साल के भीतर प्रशिक्षित करना और सेवा दे रहे शिक्षकों को बाल मित्रवत शिक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता में सुधार लाना। भारत में अनुमानित 19 करोड़ लड़कियों और लड़कों को जिन्हें फिलहाल प्राथमिक शिक्षा में होना चाहिए, सभी की बाल मित्रवत शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवार और समुदायों की बड़ी भूमिका है। निष्पक्षता से असमानता का उन्मूलन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है। प्रीस्कूल में उद्देश्यों की प्राप्ति में निवेश महत्वपूर्ण रणनीति है। स्कूल से बाहर के 92 लाख बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से सही समय पर स्कूल में लाना।

कानून लागू करने में प्रमुख चुनौतियां

इस कानून को लागू कराने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ सरकारों ने इन चुनौतियों के मद्देनजर इस बार का बजट पेश किया है। इससे वे इन चुनौतियों से निबटने में सक्षम होंगे। फिर भी इस कानून को लागू कराने में सबसे बड़ी चुनौती कोष की है। क्योंकि पहले वर्ष में कानून के क्रियान्वयन के दौरान 70 अरब रुपये की कमी की आशंका जताई गई। इसी तरह देश में अभी कम से कम 5 लाख और शिक्षकों की आवश्यकता है, इसके बिना कानून की सफलता संभव नहीं दिखती। कुछ राज्य सरकारों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि कई राज्यों में अभी तक शिक्षकों की भर्ती संबंधी कवायद शुरू नहीं हो सकी है। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक शिक्षकों की भर्ती नहीं की है, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा। अभी भी देश में अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कुल अध्यापकों की संख्या के 10–40 फीसदी है। इन अध्यापकों को नए सिरे से प्रशिक्षित करना होगा। लाखों स्कूलों में अब भी आधारभूत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए उनको समय मिल सकता है या प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है? दोनों ही स्थिति में देश का नुकसान है। इस बात की कोई योजना नहीं है कि सरकार स्कूलों से दूर हो चुके 81 लाख बच्चों को वापस कक्षाओं में भेजने के लिए कैसे मदद उठाएगी। इस कानून को लागू करने के साथ ही बड़ी संख्या में नए स्कूल खोलने होंगे। इसके लिए भूखंड तय करने होंगे। शहरों के मास्टर प्लानों में बदलाव करना होगा। मौजूदा स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। खेल के मैदान और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा।

प्राथमिक स्कूलों में सात लाख अध्यापकों की जरूरत

शिक्षा के अधिकार कानून में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए। इस देश में मान्यता प्राप्त 13 लाख प्राथमिक स्कूलों में सात लाख टीचर हैं। इनमें से तीन लाख शिक्षक या तो अप्रशिक्षित हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं। कानून के मुताबिक पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए उनके घर से एक किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए जबकि छठी से आठवीं के बच्चों के लिए तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल खोले जाएंगे। ऐसे में कम से कम सात लाख नए अध्यापकों की जरूरत पड़ेगी। अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख शिक्षक चाहिए, लेकिन यहां इसकी तुलना में आधे से कम पद स्वीकृत हैं और उनमें से भी एक तिहाई पद रिक्त हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्र लगाए गए, पर जरूरी प्रशिक्षण यानी बीटीसी

के बिना शिक्षा की गुणवत्ता का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इन्हें प्रशिक्षित करने की कोशिशें चल रही हैं। इसी तरह, बिहार में करीब आठ लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। चार साल पहले यह संख्या 25 लाख थी।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- छह से चौदह वर्ष तक के हर बच्चे के लिए नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य तथा मुफ्त है।
- ऐसे में इस उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें किसी शुल्क अथवा खर्च की वजह से प्राथमिक शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा।
- यदि छह से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाएगा।
- अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा।
- अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहां पर तीन वर्षों में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की है, तथा इसके लिए होने वाला धन खर्च भी इनकी समवर्ती जिम्मेदारी रहेगी।
- अधिनियम के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)को शैक्षिक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया है। इसका प्रमुख कार्य प्रारंभिक शिक्षा तथा इसके लिए आवश्यक पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना है।
- बच्चों तक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा पहुंचाने के लिए यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, प्रवासी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा।

भारत में साक्षरता

जनगणना 2001 में 7 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो किसी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, को साक्षर माना गया है। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, साक्षर नहीं है। वर्ष 1991 के पहले की जनगणनाओं में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य रूप से साक्षर माना जाता था। वर्ष 2001 के परिणामों से यह पता चलता है कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 6.84 प्रतिशत है। इसमें 75.26 पुरुषों की और 53.67 स्त्रियों की है। केरल 90.86 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ देश में पहले पायदान पर है जबकि दूसरे स्थान पर 88.80 के साथ मिजोरम है। इसी तरह तीसरे स्थान पर 86.66 फीसदी के साथ लक्षद्वीप है। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे नीचे है। यहां की साक्षरता दर 47 प्रतिशत है, जो देश में सबसे निम्न है। यहां पुरुष साक्षरता ही नहीं बल्कि महिला साक्षरता भी निम्न है।

(लेखक अधिवक्ता हैं और शैक्षणिक संस्था से जुड़े हैं)
ई–मेल : umarfaruqui.faruqi@gmail.com

गांवों में शिक्षा प्रसार के अनौपचारिक प्रयास

शिक्षा के मोर्चे पर प्रगति होने की आशा का एक महत्वपूर्ण पहलू है गांवों में शिक्षा के प्रसार में गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों की रचनात्मक भूमिका। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनेक सेवाभावी व्यक्ति और स्वयंसेवी संगठन गांवों के गरीब और उपेक्षित बच्चों को साक्षर बनाने के लिए आगे आए हैं। इन लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बढ़िया कैरियर बनाने और धन कमाकर शहरों में ऐशो-आराम की ज़िंदगी बिताने का मोह त्यागकर गांवों में ज्ञान की लौ जगाने को अपने जीवन का मिशन बनाया है। इस स्वयंसेवी अभियान का उल्लेखनीय आयाम यह है कि इसमें लड़कियों को साक्षर बनाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।

सुभाष सेतिया

2001 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 72 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती थी। इस वर्ष हो रही नई जनगणना में इस आंकड़े में कुछ परिवर्तन अवश्य नज़र आएगा लेकिन शहरीकरण में आई तेज़ी के बावजूद अब भी करीब दो तिहाई आबादी गांवों में ही बसती रहेगी। पिछली जनगणना के मुताबिक देश में साक्षरता दर करीब 65 प्रतिशत थी। किंतु साक्षरता या शिक्षा के प्रसार के बारे में गांवों और शहरों के बीच विषमता के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह तथ्य किन्हीं आंकड़ों का मोहताज नहीं है कि शिक्षा के मामले में गांव शहरों के मुकाबले काफी उपेक्षित रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद से शिक्षा के प्रसार की विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप गांवों में साक्षरता की स्थिति में पर्याप्त सुधार दिखाई दिया है। किंतु इन प्रयासों के जितने लाभ शहरी आबादी को मिले हैं, उस अनुपात में गांवों को नहीं मिले हैं। अब शिक्षा अधिकार कानून लागू हो जाने से गांवों में विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रसार में खासी प्रगति होने की संभावना है। इसके अलावा मिड डे मील योजना तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यों की सरकारों द्वारा शिक्षा बजट में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप साक्षरता दर में बढ़ोतरी हो रही है।

सबसे पहले देश के पिछड़े पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य असम में उत्तम तेरोन नाम के युवक का उदाहरण लेते हैं। आदिवासी युवक उत्तम तेरोन के प्रयासों से गुवाहाटी के नज़दीक पामोही गांव में, जहां आठ साल पहले तक किसी को शिक्षा प्राप्त करने की समझ तक नहीं थी, अब लगभग 500 छात्र–छात्राएं मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। निपट गरीबी से ग्रस्त इस गांव के अधिकतर लोग पत्थर की खदानों में मज़दूरी करके मुश्किल से दो जून की रोटी कमा पाते थे। तेरोन ने ग्रेजुएशन कर लेने के बाद 2003 में एक कच्चे से मकान में 4 आदिवासी बच्चों को लेकर एक स्कूल खोला जिसका नाम उन्होंने पारिजात अकादमी रखा। अकादमी में पढ़ने वाले बच्चों के पहले बैच ने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा दी है। तेरोन बताता है कि जब 8 साल पहले उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो न केवल उसके मित्रों बल्कि गांव के बड़े–बूढ़ों ने भी उसका मज़ाक उड़ाया। लेकिन वे अपनी धुन पर डटे रहे। धीरे–धीरे लोगों का मन बदलता गया और वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने लगे। तेरोन ने सरकार से किसी भी तरह की मदद नहीं ली है। लेकिन वे सरकारी स्कूलों में जाकर पुरानी पुस्तकें एकत्र करते हैं और अपनी अकादमी के गरीब बच्चों को देते हैं। तेरोन की मेहनत व लगन की सफलता को देखकर बहुत से लोग अकादमी को रुपये–पैसे या पठन–पाठन सामग्री दान भी करने लगे हैं।

इसी तरह एक महिला जमुनादेवी ने राजस्थान में साक्षरता के प्रचार में अद्‌भुत सफलता प्राप्त की है। राज्य का जेठंतरी गांव प्रौढ़ शिक्षा के मामले में राजस्थान के अन्य सभी क्षेत्रों से आगे है। जमुनादेवी द्वारा प्रौढ़ शिक्षा अभियान की शुरुआत की कहानी जितनी प्रेरक है उतनी ही रोचक है। जमुनादेवी बहुत मेहनती और कार्यकुशल हैं किंतु वह अनपढ़ थी। उसके बच्चे स्कूल में जाने लगे तो उसे अध्यापकों से शिकायत मिलती कि वे पढ़ाई में कमज़ोर हैं। जमुनादेवी को लगा कि यदि वह स्वयं पढ़ी–लिखी होती तो उसे ऐसी शिकायतें सुनने को नहीं मिलतीं। जमुनादेवी ने बच्चों के अध्यापकों से मिलकर अपने अनपढ़ होने की मजबूरी जताई तो एक अध्यापक ने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। वह चाहे तो अब भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर सकती है। यह सुनकर जमुनादेवी की आंखें चमक उठीं। उसने तत्काल पढ़ने का निर्णय ले लिया। वह दिन में घर–खेत के काम निपटाकर शाम को प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाने लगी। कुछ समय बाद वह अपने बच्चों को भी पढ़ाने लगी। जमुनादेवी को देखकर गांव के कई अन्य लोगों ने भी प्रौढ़ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए।

आज स्थिति यह है कि जेठंतरी गांव में 4 प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अब भी आलस्यवश या लापरवाही के चलते नियमित रूप से प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं में नहीं जाते लेकिन कुल मिलाकर गांव को प्रौढ़ शिक्षा से बहुत लाभ हुआ है। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि खुद साक्षर हो जाने के बाद गांववासी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने लगे हैं। इसके

साथ–साथ उनमें आधुनिक सोच विकसित हुई है और वे स्वास्थ्य के लिए घरेलू नुस्खों से आगे बढ़कर नई चिकित्सा पद्धति का सहारा लेने लगे हैं। अंधविश्वास में कमी आई है और लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझने लगे हैं। इसी तरह रोज़गार के नए अवसरों के बारे में जानकारी बढ़ी है और किसान सेठ–साहूकारों के चंगुल में फंसने की बजाय बैंकों से कर्ज़ लेने लगे हैं। महिलाओं तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रति भी जागरुकता बढ़ी है और इन लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रौढ़ शिक्षा का ही प्रताप है कि आज गांव में पढ़े–लिखे लोगों की संख्या अनपढ़ लोगों की संख्या से कहीं अधिक है। इनकी देखा–देखी आसपास के गांवों में भी प्रौढ़ शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है।

इसी तरह बिहार में सीतागढ़ी ज़िले में जगजगी केंद्रों का उदाहरण भी उल्लेखनीय है। महिला समाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए गए ये केंद्र ऐसे इलाकों की लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जहां लोग महिला शिक्षा को अनावश्यक मानते थे। इन केंद्रों के पास अपनी कोई इमारत नहीं है। जहां भी स्थान मिल जाता है, केंद्र के कार्यकर्ता बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पंचायत भवन, किसी के घर में या यूं ही खाली पड़ी किसी जगह पर कक्षाएं लगा ली जाती हैं। इन कक्षाओं में वे लड़कियां आती हैं जो स्कूली पढ़ाई नहीं कर सकीं और स्कूल जाने की उम्र पार कर चुकी हैं। इन केंद्रों में परंपरागत पाठ्य–पुस्तकों की बजाय व्यावहारिक जीवन से जुड़ी विधियों से शिक्षा दी जाती है। केंद्रों में पढ़कर कई लड़कियों ने प्राइवेट हायर सेकेंडरी की शिक्षा उत्तीर्ण की और बाद में बी.ए., एम.ए. भी किया। पढ़ने के बाद लड़कियों को आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या गांवों के स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में नौकरी भी मिल जाती है। इस तरह ये शिक्षा केन्द्र गांवों की महिलाओं के सशक्तिकरण में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

पड़ोसी राज्य झारखंड में भी महिला साक्षरता की दिशा में एक अभिनव प्रयास हो रहा है। झारखंड में महिला साक्षरता दर काफी कम है। एक अनूठे प्रयोग के अन्तर्गत सचल पुस्तकालय चलाए गए हैं जो पाकुड़ ज़िले के महेशपुर विकासखंड के 30 गांवों में साक्षरता और अधिकार चेतना की लौ जला रहे हैं। पुअरेस्ट एरियाज़ सिविल सोसायटी, पी.ए.सी.एस नाम की संस्था के तत्त्वावधान में चलने वाले सचल पुस्तकालयों के कार्यकर्ता साइकिलों पर किताबें लादकर गांवों में घूमते हैं और महिलाओं को मुफ्त पुस्तकें पढ़ने को देते हैं। शुरू–शुरू में इन कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को पढ़ाई–लिखाई के लाभ समझाकर उन्हें अक्षर ज्ञान के लिए प्रेरित किया और लगातार पुस्तकें पहुंचा कर उनमें नए ज्ञान का संचार करते रहते हैं। एक खास बात यह है कि ये नौजवान साईकिल पर किताबों और पत्र–पत्रिकाओं के साथ–साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के फार्म भी लेकर आते हैं जिनकी मदद से महिलाएं इन योजनाओं के लाभ प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं में पंचायतों के कामकाज के बारे में उत्सुकता पैदा हुई है। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ गांवों तक सीमित यह जागरुकता अभियान इन कार्यकर्ताओं का सहयोग पाकर एक विशाल आंदोलन का रूप ले ले।

उत्तर प्रदेश के एक गांव में नए ढंग का अनौपचारिक शिक्षा प्रयास चल रहा है। हरदोई ज़िले के नटपुरवा गांव में एक स्थानीय युवक नीलकमल ने वेश्याओं के बच्चों को शिक्षा देने का क्रांतिकारी कदम उठाया है। असल में लगभग 1200 की आबादी वाला नटपुरवा करीब 400 सालों से वेश्याओं का गांव बना चला आ रहा है और इसी कारण यहां के बच्चे हमेशा उपेक्षित और अशिक्षित रहते हैं। नीलकमल स्वयं एक वेश्या की संतान हैं और उसने अपने जैसे तीन–चार युवकों को साथ लेकर 4 वर्ष पहले अपने गांव के बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल शुरू किया। इस समय इसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 85 तक पहुंच गई है। इस अभियान की विशेषता यह है कि इस स्कूल में बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के साथ–साथ कृषि तथा अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे शिक्षित होकर आजीविका

भी कमा सकें और स्वयं को तथा गांववालों को परंपरागत नरकीय जीवन से मुक्ति दिला सकें।

गांवों में प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की तरह उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के प्रसार में भी कई संस्थाएं सक्रिय हैं। ये संगठन पिछड़े वर्गों तथा पिछड़े राज्यों में शिक्षा सुविधाएं जुटाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा में पिछड़े और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र मेवात में तकनीकी शिक्षा की अलख जगाने की दिशा में शुरुआत हुई है। वहां जनता के सहयोग से हरियाणा वक्फ बोर्ड की पहल पर मेवात इंजीनियरिंग कालेज खोला गया है। उल्लेखनीय है कि मेवात में पुरुष साक्षरता दर 20 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर केवल 5 प्रतिशत है। जुलाई 2010 में शुरू किए गए इस कालेज में लगभग 40 प्रतिशत सीटें मुसल्मानों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत पिछड़े क्षेत्र और समुदाय में ज्ञान व विकास का आगाज़ करने के इस सद्प्रयास की विशेषता यह है कि कालेज के लिए ज़मीन आसपास के गांवों ने उपलब्ध कराई है। यही नहीं, कालेज के निर्माण में लोगों ने श्रमदान किया और कई ठेकेदारों ने अपनी निर्धारित दरों से कम मूल्य पर भवन निर्माण के लिए अपनी सेवाएं पेश कीं। स्थानीय विधायक ने महिला छात्रावास के लिए अपना घर दे दिया। अपने क्षेत्र के दर्द और ज़रूरत को महसूस करते हुए युवा प्रोफेसर जावेद अन्यत्र बढ़िया नौकरी छोड़कर इस कालेज में पढ़ाने के लिए आ गए हैं।

विकास की राह में पिछड़ रहे दो अन्य राज्यों–मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में चल रहा अनूठा प्रयास भी यही संकेत देता है कि हमारे देश में शिक्षा प्रसार का रथ अब नए–नए प्रयोगों की राहों से गुज़रता हुआ ग्रामीण इलाकों में ज्ञान की नई मंज़िलों की तरफ दौड़ने लगा है। इन दोनों राज्यों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के अन्तर्गत चल रहे कम्युनिटी कालेजों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की नई बयार बह रही है। इन केंद्रों की विशेषता यह है कि ये शहरों में चल रहे आई.आई.टी या आई आई एम या अन्य बड़े कालेजों से मुकाबला न करके अपने ही ढर्रे पर काम करते हैं ताकि सामान्य आर्थिक स्थिति वाले स्थानीय परिवार अपने बच्चों को इनमें पढ़ा सकें। इनमें प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा का कोई मापदंड नहीं है। इनमें ऐसे शिल्पों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनसे बच्चों को पढ़ाई पूरी करने पर या पढ़ाई के दौरान ही आसपास रोज़गार मिल सके। यही नहीं, यहां से पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद निश्चित ब्रिज कोर्स पास करके वे उच्च तकनीकी संस्थानों में भी प्रवेश ले सकते हैं। जो बच्चे कम अंक होने या आर्थिक कारणों से नियमित उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश नहीं ले पाते या जो पढ़ाई के साथ–साथ कुछ धन कमाना चाहते हैं ऐसे बच्चों को रोज़गारपरक तकनीकी शिक्षा देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना ही इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो लोग पहले से कोई काम–धंधा कर रहे हैं और अपना कौशल बढ़ाने के लिए फ्लेक्सिबल टाइम के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये संस्थान बहुत उपयोगी हैं। इन कालेजों का संचालन सैडमैप नामक संस्था कर रही है। सैडमैप और इग्नू इन छात्र–छात्राओं को अंशकालिक या पूर्णकालिक नौकरी दिलाने के भी प्रयास करते हैं।

ये सभी उदाहरण दो सुखद तथ्यों की ओर संकेत करते हैं। पहला तो यह कि केवल सरकार या बड़े–बड़े पूंजीपतियों पर निर्भरता की प्रवृत्ति के स्थान पर समाज का संवेदनशील और चिंतनशील वर्ग शिक्षा प्रसार में योगदान देने लगा है। दूसरा तथ्य यह है कि सेवाभावी व्यक्ति और संगठन शहरों की चमक–दमक का मोह छोड़कर उन गांवों में शिक्षा का प्रकाश फैला रहे हैं, जहां शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आशा की जा सकती है कि शिक्षा अधिकार कानून के फलस्वरूप किए जाने वाले सरकारी उपायों तथा इस तरह के अनौपचारिक प्रयासों के सामूहिक परिणाम के रूप में हमारे देश के गांव शिक्षा प्रसार के मामले में बहुत जल्दी ही शहरों के बराबर आ खड़े होंगे।

(लेखक भारतीय सूचना सेवा से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हैं।)
ई–मेल : setia_subhash@yahoo.co.in

गांवों में शैक्षिक विकास एवं चुनौतियां

सरिता यादव

केंद्र सरकार गांवों में न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है बल्कि उसने गांवों में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। आजादी के बाद शिक्षा के प्रचार-प्रसार में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गईं। इसमें बालिका शिक्षा को विशेष तवज्जो दिया गया। सरकार के इस प्रयास का असर अब दिखने लगा है। देश की नई पीढ़ी साक्षर ही नहीं बल्कि गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा से लैस है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस शैक्षिक विकास की वजह से भारत दुनिया का सिरमौर रहेगा।

भारत का इतिहास प्राचीन खगोलशास्त्रियों, गणितज्ञों, साहित्यकारों से भरा पड़ा है। फिर भी समय के साथ हमेशा देश में शैक्षिक विकास को ही तवज्जो दिया गया। चूंकि भारत की 70 फीसदी से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है, यही वजह है कि आज भी केंद्र सरकार ग्रामीण शिक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में भी कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा बजट में 24 फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 52,057 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। ग्रामीण इलाके में शिक्षा के विस्तारीकरण की दृष्टि से केंद्र सरकार की ओर से प्राथमिक शिक्षा में 40 फीसदी की वृद्धि करते हुए 21 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस मद में वर्ष 2009–10 में 26800 करोड़ एवं वर्ष 2010–11 में 31036 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था। साथ ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनका मानदेय दो गुना कर दिया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 2179 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह ग्रामीण इलाके में शिक्षा के विकास के लिए छह हजार आदर्श विद्यालयों की स्थापना के लिए इस वर्ष 1079 करोड़ 98 लाख रुपये तथा स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए 1080 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा के लिए बजट में 21912 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो गत वर्ष से तीन हजार करोड़ रुपये अधिक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगले साल तक इसका असर ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि जब तक ग्रामीण भारत पूरी तरह से साक्षर नहीं होगा तब तक शाइनिंग इंडिया का सपना पूरा नहीं होगा। केंद्र सरकार की कोशिश है कि हर बच्चा उच्च शिक्षा हासिल करे। प्राथमिक एवं माध्यमिक के साथ ही उच्च शिक्षा का भी ग्रामीण इलाके में प्रसार हो, इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में कई प्रावधान किए गए हैं।

बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि मार्च 2010 में अनुमोदित राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर आधाररेखा के जरिए 1,500 उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ेगा। मौजूदा वित्तवर्ष के दौरान 190 संस्थानों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इससे ज्ञान का दायरा बढ़ेगा। शहरी ही नहीं ग्रामीण इलाके के सभी शिक्षण संस्थान इस नेटवर्क से जुड़े होने के कारण लगातार अपडेट होते रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब शिक्षण संस्थान लगातार अपडेट रहेंगे, तो इसका लाभ किसी न किसी रूप में हर विद्यार्थी को मिलेगा। इतना ही नहीं शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए केंद्र सरकार ने इसे ढांचागत क्षेत्र का दर्जा दे दिया है। इससे इस क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को ज्यादा आसानी से कर्ज मिल सकेगा और इन्हें ज्यादा कर लाभ भी मिलेगा। इस घोषणा से शिक्षा के क्षेत्र में अब ज्यादा निजी निवेश आने की संभावना है।

बजट में इसकी घोषणा के साथ ही वित्तमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि सरकार ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में कोई कोर–कसर बाकी नहीं रखेगी। शैक्षणिक संस्थानों को ढांचागत उप–क्षेत्र का दर्जा मिलने से इनमें होने वाले पूंजीगत निवेश को वित्त मंत्रालय की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) नीति के तहत माना जाएगा। ऐसा होने से सरकार जरूरत पड़ने पर इन परियोजनाओं को अनुदान के जरिए वित्तीय मदद उपलब्ध करा सकेगी। इससे निजी क्षेत्र को परियोजना पूरा करने के लिए आसानी से फंड मिल सकेगा। फिलहाल भारत में 13 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। स्कूली शिक्षा में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की भागीदारी करीब 93 फ़ीसदी है। अभी भी देश में बच्चों के स्कूल जाने का अनुपात 96.6 है। अगले वर्ष इसे शत–प्रतिशत करने की योजना है। गांवों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने

वाले परिवारों की संख्या काफी है। इसलिए केंद्र सरकार की ओर से यह प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं हैं लेकिन मेधावी हैं वे बैंकों से शिक्षा ऋण लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। यह योजना सभी वाणिज्यिक बैंकों की ओर से लागू है। यह योजना बैंकों को शैक्षिक ऋण योजना का संचालन करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश देती है।

भारत में प्रारंभिक शिक्षा का विकास

भारत में प्रारम्भिक शिक्षा को विनियमित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई। इन योजनाओं को प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया और उनके परिणाम के आधार पर विस्तारित अथवा समन्वित भी किया गया। इस दौरान ग्रामीण इलाके में विद्यालय खोलने से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति तक की कवायद की गई। प्राथमिक शिक्षा को नींव मानते हुए उसे मजबूत करने की कोशिश की गई। बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई अतिरिक्त योजनाएं चलाई गईं। नवंबर 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, इस कार्यक्रम का लक्ष्य जिला विशिष्ट आयोजना के जरिए यूईई को हासिल करना था। फिलहाल प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार की ओर से की गई पहल निम्नलिखित हैं –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

केंद्र की ओर से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) 1994 में शुरू किया गया था। इसके पीछे मूल मकसद था प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। इसमें 5–7 वर्ष की

विभिन्न देशों में वयस्कों की साक्षरता दर	
भारत	66.0 फीसदी
चीन	93.3 फीसदी
श्रीलंका	90.8 फीसदी
बर्मा	89.9 फीसदी
ईरान	82.4 फीसदी
नेपाल	56.5 फीसदी
पाकिस्तान	62.2 फीसदी
बांग्लादेश	53.3 फीसदी
(वर्ष 2007 के अनुसार)	

अवधि के लिए प्रति जिला निवेश सीमा 40 करोड़ रुपये है। इसमें निर्माण कार्यों पर 33.3 प्रतिशत और प्रबंधन मद में व्यय सीमा छः प्रतिशत है। शेष राशि गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के लिए है। डीपीईपी बाहरी सहायता से चलने वाला कार्यक्रम है। परियोजना व्यय का 85 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा एवं शेष 15 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र सरकार का हिस्सा विदेशों से प्राप्त सहायता के माध्यम से आता है। वर्तमान में विदेशी सहायता लगभग 6938 करोड़ रुपये है, जिसमें से 5137 करोड़ रुपये अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) से ऋण रूप में तथा शेष 1801 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में हैं। डीपीईपी ने अभी तक 1,60,000 से अधिक स्कूल खोले हैं जिसमें लगभग 84,000 वैकल्पिक शिक्षण केंद्र (एएस) हैं। इन वैकल्पिक शिक्षण केंद्रों में 35 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस योजना में 52,758 स्कूली भवनों, 58,604 अतिरिक्त कक्षाओं, 16,619 संसाधन केंद्रों, 29,307 मरम्मत कार्यों, 64,592 शौचालयों और 24,909 पेयजल सुविधाओं के निर्माण का कार्य कराया गया है। इस योजना के लागू होने से बालिकाओं के नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है। बालिकाओं के नामांकन में 48 से 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस योजना में अंशकालिक शिक्षकों, शिक्षाकर्मियों सहित लगभग 1,77,000 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षा संबंधी सहायता और शिक्षण–प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्लॉक स्तर पर 3380 संसाधन केंद्र और समूह स्तर पर 29,725 केंद्रों की स्थापना की गई है।

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। इसके जरिए लड़कियों के लिए उन इलाकों में विद्यालय की स्थापना करना था, जहां महिला साक्षरता दर निम्न है। इसमें बालिकाओं को शिक्षित करने के साथ ही उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना भी शामिल है। यह योजना उन क्षेत्रों के लिए लक्षित की गई है जहां लोग स्कूल से दूरी पर रहते हैं। ऐसे में लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल देने की भी जिम्मेदारी निभाई जा रही है क्योंकि जिन इलाकों में आबादी स्कूल से दूर होती है वहां के अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से मना कर देते हैं। इसके मद्देनजर ब्लॉक में ही लड़कियों के लिए स्कूली छात्रावास का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शेष 25 फीसदी उन लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से होती हैं।

महिला समाख्या योजना

महिला समाख्या योजना 1989 में शुरू की गई। इस योजना के जरिए बालिका शिक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करने का काम किया गया। विभिन्न महिला संघों ने इस कार्यक्रम से जुड़कर लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता को समझा और गांव–गांव जाकर ग्रामीणों को भी समझाया। इसकी वजह से स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई। महिला समाख्या योजना वर्तमान में नौ राज्यों के 83 जिलों में 21,000 गांवों में चलाई जा रही है। ये नौ राज्य हैं–आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। वित्तवर्ष 2007–08 से इस योजना में दो और राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन बच्चों को अपनी पसंद के अनुसार गतिविधियों का परिशीलन करने तथा इस प्रकार अपनी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है। इसकी शुरुआत 1956 में की गई। इन दिनों देश में राज्य स्तर पर 124 बाल भवन हैं, जबकि 70 बाल भवन केंद्र राष्ट्रीय बाल भवन से मान्यता प्राप्त हैं। इन बाल भवन केंद्रों के जरिए स्कूल छोड़ चुके बच्चे, समाज व आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे एवं अभावग्रस्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल किया जाता है। बाल भवन की ओर से चलाई जा रही योजना पांच से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की प्रतिभा पहचान कर पुरस्कृत करती है।

सर्वशिक्षा अभियान

सर्वशिक्षा अभियान की शुरुआत एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2001 में की गई। इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान से 12.3 लाख परिवारों के 19.4 करोड़ बच्चे जुड़े। केंद्र एवं राज्य सरकार की सहभागिता से चलने वाले इस अभियान के तहत अब तक 302872 नए स्कूल, 242604 नए स्कूल भवन बनाए गए। इसी तरह नए स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए 10.30 लाख अध्यापकों को भर्ती किया गया। वर्ष 2010–11 में सर्वशिक्षा अभियान के तहत 15 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता

भारत की स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को साक्षर बनाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। इसी में से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी रहा। इसके जरिए किसानों के बीच अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अन्तर–मंत्रालयीन परियोजना बनाई गई, जो किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यात्मक साक्षरता कहलाती है। एक अन्य

योजना एफएलएडब्ल्यू 1975–76 में शुरू की गई, जो प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई गई। निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई। इस वजह से साक्षरता अभियान के अधीन देश में साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार से पांच दशकों में साक्षरता का प्रतिशत 47.05 प्रतिशत बढ़ा था या प्रति दशक 9.41 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 78.85 प्रतिशत थी और महिला साक्षरता 54.16 प्रतिशत।

मध्यान्ह् भोजन योजना

इस योजना के जरिए जहां बच्चों का नामांकन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वहीं उनमें कुपोषण की समस्या भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम के तहत 15 अगस्त, 1995 से इस योजना को शुरू किया गया। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया। वर्ष 1997–98 के अंत तक एनपी–एनएसपीई को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। 2002 में इसे बढ़ाकर न केवल सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों के स्कूलों की कक्षा एक से पांच तक के बच्चों तक किया गया बल्कि ईजीएस और एआईई केंद्रों में पढ़ रहे बच्चों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस योजना में शामिल स्कूलों में पहले प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने–ले जाने के लिए प्रति कुंतल 50 रुपये की अनुदान सहायता दी जाती थी, लेकिन सितंबर 2004 में इसमें बदलाव किया गया। अब एक से पांच तक के सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8–10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। सूखा प्रभावित क्षेत्र में गर्मी की छुट्टियों में भी नामांकित बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

नवोदय विद्यालय समिति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में देश के हर जिले में एक मॉडल (आदर्श) विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया था। तदानुसार एक योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत सहशिक्षा आवासीय विद्यालय खोले गए, जिसे अब जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। नवोदय विद्यालय माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाले पूर्ण आवासीय सह–शिक्षा विद्यालय हैं। वर्ष 1985–86 में मात्र दो विद्यालयों के साथ प्रायोगिक रूप से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन ग्रामीण इलाके के मेधावी छात्रों को शिक्षित करने के लिए इनकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। अब इनकी संख्या बढ़कर करीब छह सौ हो गई है। इस विद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों में कम से कम एक तिहाई (33 प्रतिशत) बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। छात्रों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर शिक्षा लेना (शैक्षिक प्रवास) नवोदय विद्यालयों की एक विशिष्टता है।

राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना

यह योजना ग्रामीण इलाकों के छात्र–छात्राओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की ओर से जहां एक तरफ शैक्षिक विकास की दिशा में विद्यालयों की स्थापना की जा रही है वहीं छात्रों के प्रति प्रतिस्पर्धा पैदा करने और मेधावी छात्रों को शिक्षा में सहयोग देने की भी कोशिशें जारी हैं। इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा 9 और 10 के प्रतिभावान छात्रों को शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों सहित राज्य योग्यता सूची में शामिल प्रतिभाशाली छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद स्नातकोत्तर स्तर तक के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की राशि पाठ्यक्रम के अनुसार 250 रुपये से 750 रुपये तक है। अहिंदीभाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिंदी में 10वीं कक्षा के बाद

से स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की दर 300 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमाह है। इसी तरह भारत सरकार विभिन्न सांस्कृतिक शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के अंर्तगत विदेशी सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विदेशों में स्नातकोत्तर/शोध/शोध पश्चात अध्ययनों के लिए भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (ईजीएस तथा एआईई) स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने के सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस योजना में स्कूली शिक्षा से अभी तक छूट गए बच्चों के लिए अलग से योजना बनाने का प्रावधान है। ईजीएस में ऐसे दुर्गम आबादी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, जहां एक किलोमीटर के घेरे में कोई औपचारिक स्कूल नहीं हो और स्कूल नहीं जाने वाले 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के कम से कम 15–25 बच्चे वहां मौजूद हो। पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 10 बच्चों पर भी एक ईजीएस स्कूल खोला जा सकता है। यह खासतौर से बाल श्रमिकों, सड़कों पर जीवनयापन करने वाले बच्चों एवं विभिन्न कारणों से स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए बनाई गई। ईजीएस और एआईई देश में किशोरावस्था की बालिकाओं पर विशेष ध्यान देती है।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे प्रमुख कदम

सरकार की ओर से शैक्षिक विस्तार के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया है। विभिन्न संस्थानों की ओर से गुणवत्तापरक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। इसी के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और विकास परिषद (एनसीईआरटी) का गठन हुआ। यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है। एनसीईआरटी के घोषणापत्र में स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने के कार्य को विशेष स्थान दिया गया है। एनसीईआरटी से यह अपेक्षा रहती है कि वह शिक्षा का सर्वोच्च स्तर बनाए रखने के लिए और इसे सुनिश्चित करने हेतु स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा नियमित रूप से समय–समय पर करता रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 और कार्ययोजना (पीओए) 1992 में एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाने और उसे प्रोत्साहन देने में एनसीईआरटी की मुख्य भूमिका मानी जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर, 1985 में हुई थी। इसके जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना एवं सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के साथ ही ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना है। विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या के एक बड़े भाग तक उच्च शिक्षा पहुंचाना है। इसमें सतत शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना और विशेष लक्षित समूहों, जैसे–महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों तथा पूर्वोतर और उड़ीसा के पिछड़े जिलों जैसे पिछड़े एंव पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों, मुख्यतः अनुसूचित जाति एंव जनजातीय–बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना है। इग्नू ने अपने कार्यक्रम 1987 में प्रारंभ किए और अभी तक 117 कार्यक्रम चलाए हैं जिनमें पीएच. डी., स्नातकोत्तर, उच्चतर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा कार्यक्रम तथा प्रमाणपत्र कार्यक्रम जैसे 900 कार्यक्रम शामिल हैं। इग्नू ने 26 जनवरी, 2001 को एक शैक्षिक चैनल ज्ञानदर्शन की शुरुआत की थी, जो अब 24 घंटे का चैनल है तथा इसकी छह लगातार प्रसारण करने की क्षमता है। इग्नू ने नवंबर, 2001 में छात्रों को अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए एफ.एम. रेडियो नेटवर्क शुरू किया। इस समय 17 एफ.एम. रेडियो नेटवर्क चालू हालत में हैं जो कुछ समय बाद बढ़कर 40 हो जाएंगे।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं)

ENSEMBLE

सिविल समाज का मार्गदर्शक

ENSEMBLE में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी सिर्फ शिक्षण नहीं है, ENSEMBLE विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं का संस्थाबद्ध एवं व्यक्तिगत समाधान विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा उपलब्ध कराता है। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के अध्याय के लिए विभिन्न प्रकार का शिक्षण भी उपलब्ध है, जिसमें सिर्फ विषयों की विवेचना ही नहीं, बल्कि उनका सरलीकरण, विश्लेषण, कम्प्यूटरीकृत ग्राफिक मल्टीमीडिया और एनिमेशन और क्या नहीं शामिल है.....

ग्रीष्मकालीन बैच प्रारंभ

भूगोल

मुख्य परीक्षा

सबसे विस्तृत अध्ययन सामाग्री

गुणवत्ता जो अतुलनीय है

विश्वास जो अटूट है

दिशा जो निर्दिष्ट है

एक विशुद्ध शिक्षण

सम्पूर्ण समाधान.....

27 जून, 2011

सामान्य अध्ययन

मुख्य परीक्षा

15 जुलाई, 2011

अग्रिम प्रारंभिक परीक्षा

CSAT

सामान्य अध्ययन

15 जुलाई, 2011

IAS

आपका मार्ग प्रशस्त हो

के. सिद्धार्थ के निर्देशन में

Mukherjee Nagar Branch: 2nd Floor Batra Cinema, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09.
Tel.: 011- 47527043, 27651852/53, 9899707583, 9811506926

Rajinder Nagar Branch: ENSEMBLE Knowledge Park, B-5/4, Poorvi Marg, NEA, Below ICICI Bank, Opp. Ganga Ram Hospital, Old Rajinder Nagar, New Delhi-60.
Tel: 011-42430022/33, 9811506926. **Email:** ensembleias@gmail.com,

KH-1/2011

शिक्षा से वंचित समाज को जोड़ने की कोशिश

सुमन यादव

हमारे देश में अनुसूचित जाति व जनजाति के ज्यादातर लोग सुदूर ग्रामीण भारत में जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे रहते हैं। इस वजह से यह वर्ग स्कूली शिक्षा से वंचित है। यहां पर आजादी के छह दशक बाद भी शिक्षा की किरण नहीं पहुंच पाई। इस वर्ग को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार शिक्षा पर अधिक धन खर्च कर रही है। सरकार का प्रयास है कि सामाजिक असमानता तथा पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इन लोगों के बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाना जरुरी है। केन्द्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का भी मानना है कि इन वर्गों को शिक्षित किए बिना सुशासन का सपना साकार नहीं किया जा सकता।

भारत में सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से दूर रहा है। हालात तो यह है कि देश की आधी आबादी यानी महिला शिक्षा का ग्राफ भी काफी कम है। शिक्षा के व्यापक प्रचार–प्रसार के न होने और जागरुकता के अभाव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, स्वच्छकार, विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के लोग शिक्षा के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। इस वर्ग में महिलाओं की शिक्षा का ग्राफ तो अभी भी काफी पीछे है। इसका एक बड़ा कारण इनकी बसावट भी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग सुदूर ग्रामीण इलाके, नदियों के किनारे और जंगलों के बीच रहते हैं। इस वजह से भी ये स्कूलों की पहुंच से दूर रहे हैं। जाहिर–सी बात है कि इस वर्ग के ज्यादातर लोग अभी भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर हिस्सा ऐसा है जहां आजादी के छह दशक बाद भी विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई हैं। ऐसे में इनको शिक्षा से जोड़े बिना संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा नहीं हो सकता है। इसी अवधारणा को लेकर केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों की शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए। विभिन्न कार्यक्रमों में इनकी सहभागिता बढ़ाने की भी कोशिश की गई।

शिक्षा में विशेष प्रावधान

देश के आजाद होने के बाद भारत सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के शैक्षणिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्ययोजना (पीओए) 1992 के अनुपालन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित विशेष प्रावधान किए गए हैं –

स्कूल की व्यवस्था : पहले जहां तीन सौ लोगों की आबादी पर एक स्कूल खोलने की व्यवस्था थी वहीं इसे अब दो सौ की जनसंख्या पर कर दिया गया है। उसमें विद्यालय के लिए जमीन उपलब्धता पर विचार करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की पहुंच से विद्यालय दूर न हो। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय खोला जाए।

प्रोत्साहन : अनुसूचित जाति एवं जनजाति इलाकों में चल रहे विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुरूप क्रमोन्नति में वरीयता। अनुसूचित जाति/जनजातियों के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर तक शिक्षा शुल्क समाप्त कर दिया है। इन वर्गों के छात्रों को निशुल्क पुस्तकें, ड्रेस, स्टेशनरी, स्कूल बैग आदि के जरिए प्रोत्साहित करना।

सर्वशिक्षा अभियान में बालिका शिक्षा

सर्वशिक्षा अभियान में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का प्रावधान है। इसमें बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। वहीं विद्यालय छोड़कर जा चुकी बालिकाओं को वापिस लाने के लिए अभियान चलाना, लड़कियों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, बालिकाओं के लिए विशेष कोचिंग और तैयारी –कक्षाओं का आयोजन और सीखने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, शिक्षा के समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक जागरुकता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाओं पर विशेष ध्यान एवं 50 प्रतिशत महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना शामिल है।

प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल)

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) में एनपीईजीईएल को शामिल किया गया है। इसके जरिए प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित/पिछड़ी बालिकाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े उन विकासखंडों में चलाया जा रहा है, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत से कम है और लैंगिक भेदभाव राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साथ ही यह कार्यक्रम ऐसे जिलों के विकासखंडों में भी चलाया जा रहा है, जहां कम से कम 5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति/ जनजाति की है और जहां अनुसूचित जाति/ जनजाति महिला साक्षरता की दर 1991 के आधार पर राष्ट्रीय औसत से 10 प्रतिशत कम है ।

शिक्षाकर्मी अभियान (एसकेपी)

एसकेपी का लक्ष्य बालिका शिक्षा पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के अतिरिक्त राजस्थान के दूरदराज के अर्धशुष्क एवं सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह उल्लेखनीय है कि शिक्षाकर्मी स्कूलों में अधिकतर बच्चे अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हैं।

जनशिक्षण संस्थान

जनशिक्षण संस्थान (जेएसएस) ऐसा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य लाभान्वित होने वाले लोगों के व्यावसायिक हुनर और निपुणता में सुधार लाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों विशेषकर नवसाक्षरों, अर्धशिक्षितों, अनुसूचित जाति/जनजातियों, महिलाओं तथा बालिकाओं, मलिन बस्ती निवासियों, प्रवासी श्रमिकों इत्यादि का शैक्षिक, व्यावसायिक

विकास करना है। साक्षरता अभियान का अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर भी व्यापक असर हुआ है। इसने समाज में सामाजिक न्याय और समानता के कारणों को मजबूती प्रदान की है। इससे भारत की महान मिली–जुली संस्कृति तथा विविधता में एकता के बोध के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूती मिली है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल)

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) मैसूर की एक योजना है, जो जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान के लिए पाठ्य सामग्री तैयार कराती है। संस्थान ने 90 से अधिक जनजातीय भाषाओं के क्षेत्रों में कार्य किया है।

केन्द्रीय विद्यालय में हिस्सेदारी

केंद्रीय विद्यालय दाखिले में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इन वर्गों के छात्रों से 12वीं कक्षा तक किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता।

नवोदय विद्यालय में व्यवस्था

अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिलों में उनकी आबादी के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि वह 22.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत (15 प्रतिशत अजा के लिए एवं 7.5 प्रतिशत अजजा के लिए) से किसी भी प्रकार कम न हो और अधिकतम दोनों वर्ग (अजा एवं अजजा) को मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक न हो। ये आरक्षण परस्पर परिवर्तनीय है तथा सामान्य दक्षता सूची से आने वाले छात्रों के अतिरिक्त हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईआईएस)

माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए एससी/एसटी छात्रों को प्रवेश शुल्क में 450 रुपये तक तथा उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों के लिए 525 रुपये तक शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए आवासीय और छात्रावास सुविधाओं में वृद्धि करने की योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली एवं कमजोर वर्ग की किशोरियों को इन छात्रावासों में प्रवेश के लिए प्रेरित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। इनमें शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है, विशेष रूप से वहां, जहां अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोगों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता है। इसी तरह माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान बच्चों को दी जाने वाली 43,000 छात्रवृत्तियों में से 13,000 छात्रवृत्तियां कुछ शर्तों पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित हैं।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की ओर से चलने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना में भी पिछड़े वर्गों को वरीयता दी जाती है। इसके तहत कुल 1000 छात्रवृत्तियों में से 150 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति एवं 75 अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति का शैक्षिक विकास करना राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र है। यह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए चल रहे शैक्षिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अध्ययन करता है। यह अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के विकास और उनसे संबद्ध शैक्षिक संस्थाओं के लिए सामग्री भी तैयार करता है।

प्रवेश सुविधा

आरक्षण नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्र सरकार के अधीन सभी विश्वविद्यालयों में सभी शिक्षण एवं गैर–शिक्षण पदों में भर्ती, प्रवेश, छात्रावास इत्यादि में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है । राज्यों के विश्वविद्यालय संबंधित राज्य द्वारा बनाई गई आरक्षण नीति का पालन करते हैं। आयोग भारत सरकार की आरक्षण नीति को लागू करने के लिए समय–समय पर दिशा–निर्देश/नीति निर्देश/आदेश जारी करता रहता है। आरक्षणों के अलावा अजा/अजजा छात्रों के प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंकों में छूट दिए जाने का भी प्रावधान है। आयोग अजा/अजजा छात्रों को प्रतिविधि कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता देता है। आयोग ने अनुसूचित जाति/जनजाति

के योग्य छात्रों के लिए एक केन्द्रीय डाटाबेस पूल तैयार किया है। वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों के लिए पदों को भरने के लिए उनका नाम भी प्रस्तावित करता है तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की समय–समय पर बैठकों का आयोजन कराता है।

सामुदायिक पालिटेक्नीक

सामुदायिक पालिटेक्नीक की योजना के अंतर्गत क्षेत्र विशेष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ग्रामीण/ सामुदायिक विकास गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों/ स्थानीय समुदायों को उनके उपयुक्त एवं अनुरूप प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए मंच उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षण देने में ग्रामीण युवकों, अनुसूचित जाति/ जनजाति के सदस्यों, महिलाओं, स्कूल बीच में ही छोड़ चुके व्यक्तियों तथा अन्य वंचित वर्गों को वरीयता दी जाती है और आवश्यकतानुसार रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। सामुदायिक पॉलीटेक्नीकों की योजना चुनिंदा डिप्लोमा–स्तरीय संस्थाओं में लागू है। इसमें निपुणता– उन्मुख अनौपचारिक प्रशिक्षण, तकनीकी हस्तांतरण तथा प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है।

छात्रावास संधारण योजना

केंद्र की ओर से विभिन्न राज्यों में छात्रावास संधारण योजना चलाई जा रही है जिसके तहत आश्रम पद्धति के छात्रावास शुरू किए जाते हैं। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति,स्वच्छकार जाति के छात्रों को यहां रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रावास में आवासरत छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन, पेयजल, विद्युत, वस्त्र, पुस्तक, स्टेशनरी आदि उपलब्ध करवाई जाती है। छात्र स्थानीय विद्यालय में अध्ययनरत हो तथा गत वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

जनजाति शोध संस्थान

राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, एवं त्रिपुरा में कुल 14 जनजातीय शोध संस्थानों की स्थापना की गई है। इन संस्थानों का कार्य राज्य सरकार को योजना बनाने में सहायता, शोध करना एवं विकास का अध्ययन, पारंपरिक नियमों को कोडिफाई करना, प्रशिक्षण देना, सेमिनार तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना है। ये संस्थान जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए समय–समय पर अपनी रिपोर्ट से सरकार को अवगत कराते रहते हैं। इन सब संस्थानों के पास जनजातीय हस्तशिल्प को दर्शाने के लिए म्यूजियम भी हैं। राजस्थान में यह संस्थान उदयपुर में स्थित है। संस्थान की ओर से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं अन्य समस्याओं पर आधारित शोध के लिए शोधार्थी को 10 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलागा संस्थागत शोधार्थियों को तीस हजार रुपये की सहायता दी जाती है।

शोध छात्रवृत्ति : यदि कोई छात्र जनजाति समुदाय के विभिन्न पहलुओं पर शोध करता है तो उसे डाक्टरल फेलोशिप प्रदान की जाती है। इसके तहत जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से शोधार्थी को 43 हजार 600 रुपये की दर से दो वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

उत्तर मैट्रिक एवं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छकार, विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के विद्यार्थियों की पढ़ाई में पैसा आड़े न आए, इसके लिए भी सरकार ने इंतजाम कर रखा है। जिन छात्रों के अभिभावक आयकरदाता नहीं हो तथा जो अन्य किसी स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं करते हैं उन छात्रों को विभिन्न कक्षाओं के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वहीं राजकीय एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों अथवा विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छकार, विमुक्त एवं घुमन्तू जाति के विद्यार्थियों जो कक्षा 9 से उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत हो, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो तथा जो अन्य किसी स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं करता हो, को विभिन्न कक्षाओं के लिए स्वीकृत दर के आधार पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है।

अनुप्रीत योजना

इस योजना का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यार्थियों को उच्च

शिक्षा ग्रहण कराने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी मदद करना। इसके तहत अखिल भारतीय सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा के लिए कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग व राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा तथा आई.आई.टी., एनआईटी, एएमआईई, आरपीईटी व आरपीएमटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है जिसकी वार्षिक आय 2 लाख से कम हो। आईएएस परीक्षा के लिए अजा व जजा दोनों के अभ्यर्थी को सुविधा दी जाती है। परीक्षा में सफलता के लिए दो प्रयासों पर शत–प्रतिशत अनुदान तथा तृतीय प्रयास में सफलता पर 50 प्रतिशत राशि दी जाती है। आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25 हजार रुपये, अभ्यर्थी को कोचिंग के लिए 40 हजार रुपये तक का पुनर्भरण तथा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 25 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 15 हजार रुपये एवं कोचिंग के लिए 10 हजार रुपये का पुनर्भरण तथा मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 10 हजार रुपये एवं साक्षात्कार के लिए 5 हजार रुपये का अनुदान देय है। आरपीईटी व आरपीएमटी में चयनित होने एवं सीनियर सेकेण्डरी में 60 प्रतिशत अंक होने पर 10 हजार रुपये का अनुदान देय है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

यह केन्द्रीय योजना 1992–93 में जनजातीय युवाओं की क्षमता के विकास के लिए शुरू की गई तथा स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। इन दिनों कुल 33 केंद्र चल रहे हैं।

अनुसूचित जनजाति बालिकाओं के लिए शिक्षा

इस योजना की शुरुआत आठ राज्यों में की गई। ये ऐसे राज्य हैं जहां महिला साक्षरता दो प्रतिशत से कम है। जुलाई 1998 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 14 राज्यों के एक सौ 34 जिले शामिल किए गए हैं। जहां महिला साक्षरता दर दस प्रतिशत से कम है इसके तहत एक से पांच कक्षा तक के लिए आवासीय शैक्षणिक परिसर बनाने की योजना है। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारें करती हैं।

इस तरह देखा जाए तो केंद्र एवं राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न योजनाओं के जरिए एक साथ दो–दो लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं। इससे भारत की तस्वीर आने वाले समय में काफी बेहतर होगी। ग्रामीण इलाकों में जहां आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है वहीं साक्षरता का ग्राफ भी बढ़ेगा। ग्रामीण इलाके के लोगों को शिक्षित करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। चूंकि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कम से कम आठवीं अथवा हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है। ऐसे में जब अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग न्यूनतम शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी तो इन योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिलेगा। यानी ग्रामीण इलाके में शिक्षा का विस्तार करने से स्वावलंबन की दिशा में भी बेहतर कार्य हो रहा है।

(लेखिका महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम **कुरुक्षेत्र** का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 100 रुपये, दो वर्ष के लिए 180 रुपये, तीन वर्ष के लिए 250 रुपये का
(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

..... पिन .....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली–110 066

ग्रामीण शिक्षा को समर्पित जीवन

पूरण चंद्र कुमावत

ग्रामीण इलाके के हर सरपंच की शिकायत रहती है कि उनके गांव के विद्यालय में कार्यरत अध्यापक तल्लीनता से शिक्षण कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं एक ऐसा भी अध्यापक है जिसे अपने गांव में तैनात कराने के लिए होड़ लगी हुई है। यह अध्यापक न सिर्फ विद्यालय में पूरा समय देता है बल्कि अपनी तनख्वाह से गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठा रहा है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित करता है ताकि छात्र-छात्राओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने की ललक पैदा हो, उनमें पढ़ाई को लेकर प्रतियोगिता की भावना पैदा हो और वे गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश व समाज के विकास में अपना सहयोग दें।

इस समाज में एक ऐसा वर्ग है, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और खुद के लिए ढेर सारी उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश में लगा है। वहीं इसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जो खुद के साथ ही दूसरों का भी ख्याल रखते हैं और दूसरों की हर संभव मदद को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग समाज के हर वर्ग के विकास के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं। तन, मन, धन से देश व समाज को शिक्षित करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज भी हाथों हाथ लेता है। वे अपनी इस कोशिश में आर्थिक रूप से भले नुकसान में हो, लेकिन समाज में उनका यह पताका हमेशा लहराता रहता है। कुछ ऐसे ही हैं बस्सी निवासी संजय कुमार, जो अपना दायित्व हर स्तर पर निभाने का जज्बा रखते हैं। वे न सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी पूरी तत्परता से निभा रहे हैं बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाली तनख्वाह को दूसरों को शिक्षा दिलाने में खर्च कर रहे हैं। ऐसे कर्त्तव्यपरायण शिक्षक को समाज भी हाथोंहाथ ले रहा हैं। संजय कुमार को विभिन्न संस्थानों की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं हर सरपंच की कोशिश रहती है कि संजय कुमार उनकी ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय में शिक्षण कार्य करें ताकि उनके गांव के छात्र–छात्राओं का समुचित विकास हो सके। फिलहाल संजय कुमार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नांगल बोहरा में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं संजय कुमार से उनके हौंसले और जज़्बे की कहानी उन्हीं की जुबानी।

संजयजी अपने बारे में बताइए। आखिर क्या कारण है कि आपके गांव के लोग आपको बहुत चाहते हैं। आसपास के गांवों के सरपंच भी आपको अपनी ग्राम पंचायत के स्कूल में नियुक्त कराना चाहते हैं?

मैं बस्सी का निवासी हूं और इन दिनों राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नांगल बोहरा में कार्यरत हूं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापरक शिक्षा दी जाए। मेरी यह कोशिश रहती है कि स्कूल आने वाला हर बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा लेकर घर लौटे। इस दिशा में मैं कोई कोर–कसर बाकी नहीं रखता। शायद मेरा यह छोटा–सा प्रयास गांववालों को पसंद आ रहा है। यह भी कह सकते हैं कि मेरी पढ़ाई का तरीका अभिभावकों को पसंद आ रहा है। जहां तक सरपंचों की ओर से डिमांड किए जाने की बात है तो इस संबंध में तो सरपंचों से ही पूछा जाना चाहिए। फिर भी मुझे लगता है कि यदि हर अध्यापक अपने दायित्व के प्रति गंभीर हो जाए तो समाज की दिशा एवं दशा दोनों बदल जाएंगी। देश की शिक्षा पूरी दुनिया में बेहतरीन मानी जाएगी। इससे अध्यापकों का सम्मान भी बढ़ेगा और समाज का भी फायदा होगा।

आप चाहते तो स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन पढ़ाते और दूसरे अध्यापकों की तरह काफी पैसा कमा सकते थे। फिर बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का निर्णय क्यों लिया?

आपको बता दूं कि मैं धोबी जाति से हूं। मेरी बिरादरी में अभी भी शिक्षा का अभाव है खासतौर से लड़कियों में। मैं खुद बड़ी मुश्किल से उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाया और इस मुकाम पर पहुंच पाया। मैं चाहता हूं कि जो दर्द मैंने झेला है, दूसरे छात्र–छात्राएं न झेलने पाए। आज भी इसी समाज में तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है। वे कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। यह साबित करना चाहते हैं कि टैलेंट के बल पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ऐसे योग्य छात्र–छात्राएं बहुत आगे निकल सकते हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। मैं यह नहीं चाहता कि कोई भी गरीब बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़े। एक अध्यापक के रूप में जितनी तनख्वाह मिलती है, उससे मेरा काम आराम से चल जाता है। पैसे के पीछे भागना मेरी नीयत में नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस मेरी गृहस्थी चलती रहे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना मेरी सामाजिक जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। मैं समाज के कुछ काम आ पा रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य है। मैं खुद अध्यापक हूं इसलिए मेरा पहला दायित्व है शिक्षण कार्य। बस, इसी काम को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा हूं।

शहरी एवं ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है? अभी ग्रामीण इलाके में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह की जरूरत महसूस की जा रही है?

सरकार की ओर से शहर एवं गांव दोनों की शिक्षा को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। फिर भी अभी ग्रामीण इलाकों की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। कुछ वर्ष पहले तक ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों का अभाव था। अध्यापकों की कमी थी। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान नहीं थे। अब चारों तरफ विकास हो रहा है। सरकार गांव–गांव विद्यालय खोल रही है। अध्यापक भी हैं। कुछ हद तक चार से छह गांव के बीच एक उच्च शिक्षण संस्थान भी है। इससे गांवों में भी शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। फिर भी जिस अनुपात में शहरों में शैक्षणिक सुविधाएं हैं अभी वह गांवों

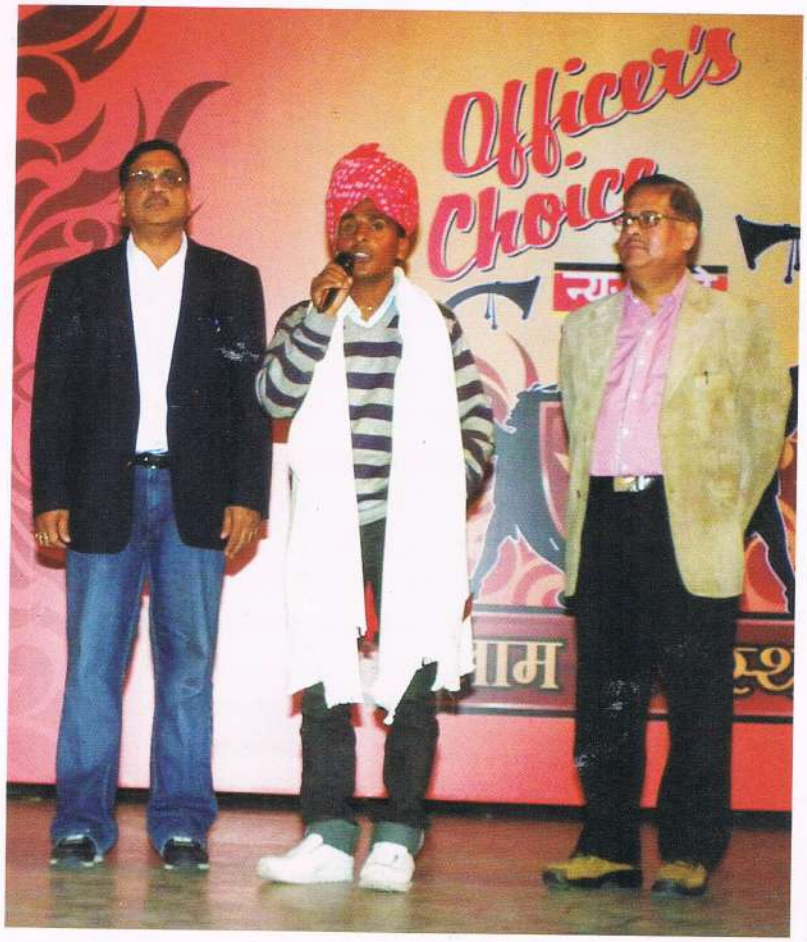

में नहीं हो पाई हैं। फिर भी संतोष है कि धीरे–धीरे गांव भी शहरों की तर्ज पर बदल रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि अभी ग्रामीण इलाके के छात्रों में कैरियर को लेकर जागरुकता का अभाव है। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि हाईस्कूल अथवा इंटर करने के बाद किस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएं। कैरियर की संभावनाएं क्या हैं? किस क्षेत्र की पढ़ाई कैसे और कहां से करें? यदि ग्रामीण इलाके में यह व्यवस्था हो जाए तो सभी प्रतिभाओं को मौका मिल सकेगा।

बच्चों को शिक्षित करने के लिए आपने क्या रास्ता अपनाया है? इतना समय कैसे दे पाते हैं बच्चों को?

मैंने समय प्रबंधन का फंडा अपनाया है। सुबह से लेकर शाम तक मेरी दिनचर्या एकदम तय है। मैं सुबह समय पर स्कूल पहुंचता हूं और जैसे ही स्कूल का समय खत्म होता है घर आ जाता हूं। मेरी दिनचर्या के बारे में बच्चों को भी पता है। इसलिए वे भी स्कूल से खाली होने के बाद पढ़ने के लिए आ जाते हैं। तमाम बच्चों की ट्यूशन पढ़ने की लालसा होती है। वे स्कूल के अलावा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ा रहा हूं।

तो क्या ट्यूशन पढ़ाना खराब काम है? बहुत से अध्यापक ट्यूशन पढ़ा रहे हैं?

मैं इसे खराब काम नहीं कहता, लेकिन जब सरकारी स्कूल में पढ़ाने के एवज में तनख्वाह मिल रही है तो फिर इसे ओवर टाइम का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। अध्यापक का नाम समाज में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। एक अध्यापक को समाज में जो सम्मान मिलता है वह चंद पैसों से कई गुना अधिक होता है। मेरी गुजारिश है कि कोई भी अध्यापक बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए विवश न करे और अगर कोई अध्यापक ट्यूशन पढ़ाता भी है तो उसे नैतिकता के आधार पर गरीब बच्चों से फीस नहीं लेनी चाहिए। यदि गरीब बच्चों को पढ़ा–लिखा कर हम कुछ बना पाते हैं तो यह बहुत ही गर्व की बात है।

आपने छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए कौन से काम किए हैं और इसकी शुरुआत कैसे की?

जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि मैं अपनी तरह ही दूसरे बच्चों को पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ते नहीं देखना चाहता। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो भी गरीब बच्चों के लिए जो बन सकता था, करता था। कभी किसी को पुरानी किताबें देकर मदद करता तो कभी किसी को एक–दो घंटे पढ़ाकर। फिर अध्यापक नियुक्त होने के बाद मेरी खुद की आर्थिक समस्या खत्म हो गई। अध्यापक की नौकरी से जो पैसा मिलता है, उससे अपना खर्च चल जाता है। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण इलाके के हर छात्र–छात्राएं बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए मैंने कक्षा आठ के छात्र–छात्राओं की तीन वर्ष तक लगातार बोर्ड की परीक्षा से पहले अंग्रेजी एवं गणित की निशुल्क विशेष कक्षाएं लीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रयास ने मेरी दुनिया बदल दी। निशुल्क विशेष कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों ने पूरी तल्लीनता से मेहनत की। बस मैंने तो सिर्फ गाइड किया था। विशेष कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। यहीं से मैंने तय किया जब मेरे जरा से प्रयास से पूरे समाज को फायदा मिल सकता है तो फिर इसे रेगुलर क्यों न रखा जाए। यहीं से मैंने छात्र–छात्राओं को निशुल्क शिक्षा देना शुरू किया। मेरे विद्यालय में छात्रों का ड्राप आउट भी खत्म हो गया। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मुझे स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। इस सम्मान के बाद मेरे कदम इस दिशा में अपने आप आगे बढ़ते गए।

स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित होने के बाद आपने और क्या किया? इस अभियान को आगे कैसे जारी रखा।

जब मुझे सम्मानित किया गया तब मैं टोंक जिले की ग्राम

पंचायत चतुर्भुजपुरा ग्राम पंचायत के विद्यालय में कार्यरत था। इसी दौरान कक्षा छह की एक बालिका ने एक दिन बताया कि वह अब आगे की पढ़ाई नहीं करेगी क्योंकि वह अनाथ है। उसके सामने आर्थिक संकट है। वह पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकती है। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसी दिन तय किया कि इस छात्रा की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। काफी समझाने के बाद वह छात्रा आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हो गई। अब वह छात्रा कक्षा नौ में पढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि एक दिन वह कुछ बनकर दिखाएगी और समाज में बालिका शिक्षा के प्रति प्रेरणा का काम करेगी। इस कार्य के लिए भी ग्राम पंचायत की ओर से मुझे कई सम्मान दिए गए।

निशुल्क शिक्षा देने के अलावा छात्र–छात्राओं में शिक्षा के प्रति ललक पैदा करने के लिए और क्या कर रहे हैं?

मैं हर साल एक समारोह का आयोजन करता हूं। इस समारोह में कक्षा आठ एवं कक्षा 10 के टॉपर छात्र–छात्राओं को सम्मानित करता हूं। इन छात्र–छात्राओं को सम्मान में शील्ड एवं कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका असर यह है कि छात्र–छात्राओं में टापर बनने की ललक पैदा होती है और वे दुगुनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। बच्चों के बीच पढ़ाई के लिए प्रतियोगिता पैदा करने का फायदा कई स्तरों पर मिलता है। शुरुआती दौर से ही टॉपर बनने की लालसा उनके भविष्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बच्चों में ड्राप आउट की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है।

आपको और कौन–कौन से सम्मान मिले हैं। यह सम्मान पाकर कैसा महसूस करते हैं?

मैं जिस भी विद्यालय में रहा, वहां की ग्राम पंचायत ने सम्मानित किया। वर्ष 2008 –09 में पंचायत समिति निवाई टोंक जिले में कार्यरत था। वहां श्रेष्ठ अध्यापक का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जयपुर संभाग में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए न्यूज टुडे एवं आफीसर्स च्वाइस की ओर से सम्मानित किया गया। इसी तरह कई सामाजिक संगठनों की ओर से भी समय–समय पर सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान पाकर बहुत खुशी होती है। लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं समाज उससे खुश है। मेरा काम समाज को पसंद आ रहा है और लोगों को लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, उसमें समाज व देश का हित है। यह मेरे लिए सुखद अनुभूति है। मैं तो बस कर्म कर रहा हूं।

आपकी ख्वाहिश क्या है? आप शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं?

मेरी इच्छा है कि इस देश का हर बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। खासतौर से बालिकाएं उच्च शिक्षा हासिल करें और स्वावलंबी बनें। समाज के बीच जाति, धर्म की दीवार ढह जाए। कम से कम शिक्षा के बीच जाति व धर्म की दीवार कदापि नहीं होनी चाहिए। देश का कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़ने पाए। समाज में जो लोग आर्थिक रूप से सुदृढ हैं वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के साथ ही आर्थिक तंगी झेल रहे परिवार के बच्चों की भी मदद करें ताकि संपूर्ण साक्षरता अभियान शत–प्रतिशत पूरा हो सके।

सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। शिक्षा की दिशा में सरकार की ओर से उठाए गए कदम कैसे हैं?

इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार की ओर से शिक्षा की दिशा में एक से बढ़कर एक बेहतरीन कदम उठाए जा रहे हैं।

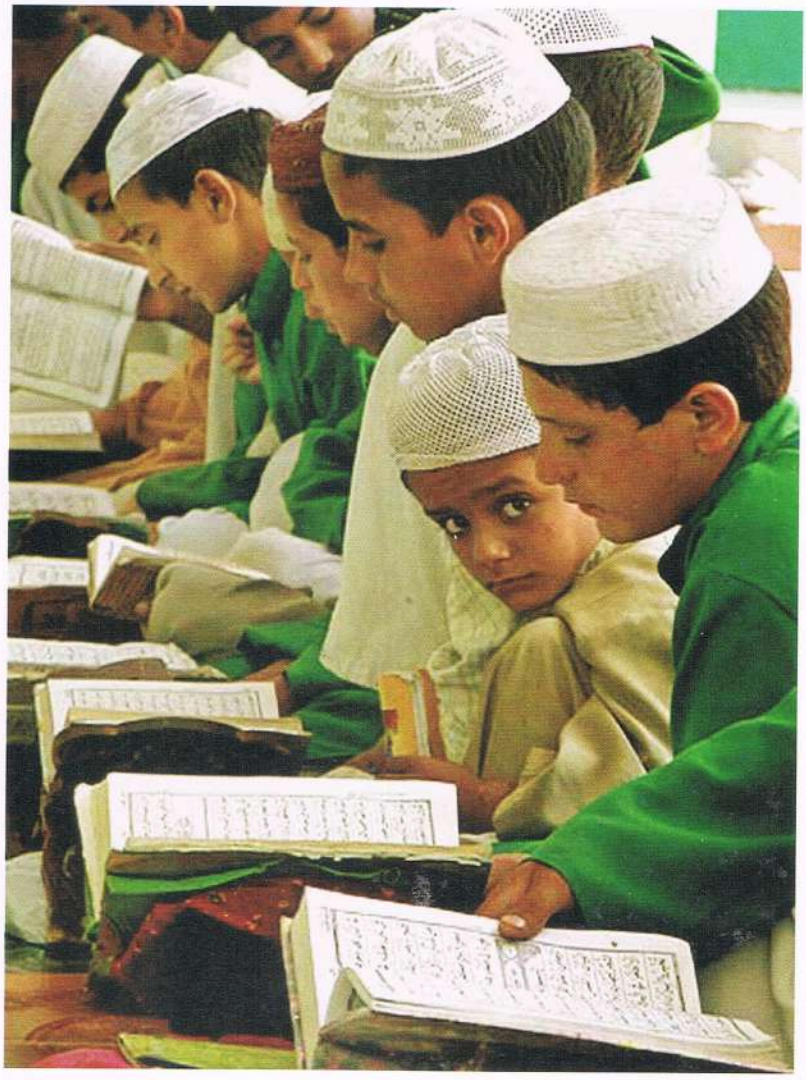

सरकार की कोशिश है कि सभी को उच्च शिक्षा दिलाई जाए। भारत का हर नागरिक साक्षर ही नहीं शिक्षित हो, इसके लिए सरकारी स्तर पर कोशिशें जारी हैं, लेकिन यह कोशिशें परवान तभी चढ़ेंगी जब समाज का हर जागरूक व्यक्ति भी इसमें पूरी तरह से सहयोग करे। हालांकि यह अच्छी बात है कि अब लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि शिक्षा के बिना भविष्य अंधकारमय है। हर अभिभावक यह चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। यह अलग बात है कि अलग–अलग कारणों से कुछ अभिभावक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। यदि आर्थिक रूप से संपन्न लोग इस दिशा में सहयोग करें तो स्थितियां बदल सकती हैं।

इधर एक दशक में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? खासतौर से बालिका शिक्षा के क्षेत्र में।

एक दशक के बीच शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की मानसिकता बदली है। अब हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाकर कुशल नागरिक बनाना चाहता है। पहले बालिकाओं की पढ़ाई पर अघोषित पाबंदी थी। कम उम्र में शादी और फिर घर–परिवार की जिम्मेदारी। खासतौर से गरीब तबके के बीच यह प्रवृत्ति कुछ ज्यादा थी, लेकिन अब लोगों की मानसिकता बदल रही है। बालकों की तरह ही बालिकाओं को भी लोग शिक्षित करना चाहते हैं। बालिकाएं भी पहले की अपेक्षा जागरूक हुई हैं। वे परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती हैं। उनमें भी पढ़ाई को लेकर ललक है। वे कुछ बनकर समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त करना चाहती हैं और इस दिशा में सरकार की ओर से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले चंद वर्षों में शिक्षा के मामले में देश की तस्वीर काफी हद तक बदली हुई होगी।

समाज और नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे?

मैं तो बस यही कहूंगा कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर शिक्षा के विकास में सहयोग दे। चूंकि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। जब तक समाज का हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज और देश में पूरी तरह से खुशहाली नहीं आ सकती है। इस खुशहाली को पूरा करने के लिए समाज के हर वर्ग को उच्च शिक्षा दिलानी होगी। नई पीढ़ी से मेरा बस यही कहना है कि यदि आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है तो यह कोशिश करें कि आपकी तरह ही हर बच्चा कुशल नागरिक बन सके। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, जिसे जितने अधिक लोगों में बांटा जाए वह उतनी ही बढ़ती है। आज के बच्चे कल देश के कर्णधार हैं। इन कर्णधारों को संवारने की जिम्मेदारी खासतौर से अध्यापकों की है। मेरा सभी से निवेदन है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि सरकार गांवों के विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी भी तमाम गांव 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। आपकी निगाह में गांवों की स्थिति क्या है?

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अब गांव पूरी तरह से बदल रहे हैं। सरकार की ओर से इस बार के बजट में भी ग्रामीण विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है। राज्य सरकार भी ग्रामीण इलाके में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कोशिश में जुटी है। गांव–गांव विद्यालय, सड़क, बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रामीण इलाकों का तेजी से विकास हो रहा है। पहले लोगों को कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की जानकारी नहीं थी। अब हर बाजार में इंटरनेट की सुविधा हो गई है। कम्प्यूटर सेंटर खुल गए हैं। बच्चे कोर्स की पढ़ाई करने के साथ ही कम्प्यूटर की भी पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूलों में भी कम्प्यूटर शिक्षा दी जा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो रहा है जो देश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)
ई–मेल : poorankumawat_1@yahoo.com

शिक्षा के क्षेत्र में उभरता राजस्थान

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से काफी विपरीत है। इसके बाद भी शिक्षा के मामले में राजस्थान का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। शहरी शिक्षा की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं और लोगों में शिक्षा के प्रति जागरुकता भी आ रही है, जिसकी वजह से राजस्थान भारत के नक्शे में शिक्षा के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना होने से उच्च शिक्षा का भी ग्राफ बढ़ा है। दूसरे राज्यों से विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बाद भी राजस्थान में किस तरह से शिक्षा का विकास हो रहा है, इसकी पूरी विवेचना और सरकारी प्रयास पर पेश है एक रिपोर्ट

नीलम शर्मा

राजस्थान की स्थिति पर गौर किया जाए तो यह उष्णकटिबंध के बाहर है फिर भी यहां की जलवायु विषम है। राजस्थान की 1070 किलोमीटर पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। इस इलाके में चारों तरफ रेत के टीले ही नजर आते हैं। इन धोरों के बीच बसे हैं तमाम गांव। इस इलाके में कुछ वर्ष पहले तक शिक्षा न के बराबर थी, लेकिन अब इस इलाके की तस्वीर भी बदल रही है। सरकार की ओर से ऐसे इलाके में अध्यापकों की नियुक्ति से लेकर अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों को विशेष तवज्जो दिया जा रहा है। इसी तरह राजस्थान का दक्षिण–पश्चिमी इलाका गुजरात से लगता है तो दक्षिण–पूर्व में मध्य प्रदेश है। उत्तर में पंजाब, उत्तर–पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य हैं। इस लिहाज से राजस्थान विपरीत परिस्थितियों

के बाद भी शिक्षा के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की प्राथमिकता सबको उच्च शिक्षा मुहैया कराना है क्योंकि यही विकास का आधार है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की 70 फीसदी से अधिक आबादी अभी भी गांवों में रहती है। ऐसे में जब तक गांवों का पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। यही वजह है कि आजादी के वक्त भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वह थी ग्रामीण शिक्षा की। इस चुनौती से निबटने की प्रक्रिया आज भी जारी है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को ग्रामीण शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न तरीकों से जवाबदेह बनाया जा रहा है। कुछ समय पूर्व लागू हुआ शिक्षा का अधिकार कानून भी इसी का एक हिस्सा है। इसकी शुरुआत 2002 में 86वें संविधान संशोधन के साथ हुई और इसे कानून का दर्जा मिला 4 अगस्त 2009 को। फिर सरकार ने इसे एक अप्रैल 2010 को लागू किया। केंद्र की इस पहल का असर राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। राज्य में वर्ष 1991 में साक्षरता प्रतिशत 38.55 था जबकि उस समय भारत की साक्षरता का औसत 52.19 था। यानी राजस्थान करीब 13.64 फीसदी पीछे था। इसके पीछे एक बड़ा कारण राजस्थान की भौगोलिक स्थिति थी। क्योंकि पश्चिमोत्तर इलाके में शिक्षा का प्रसार नहीं था। जिन स्थानों पर विद्यालय थे वहां न तो अध्यापक रहना चाहते थे और न ही वहां के लोगों में पढ़ने–लिखने को लेकर रुचि थी। समय के साथ सरकार ने पुख्ता रणनीति बनाई और लोगों में शिक्षा के प्रति जागरुकता लाने का काम किया।

इसका असर यह हुआ कि वर्ष 2001 की जनगणना में राजस्थान की साक्षरता दर 22.48 से आगे बढ़ते हुए 61 फीसदी से आगे बढ़ गई। इस एक दशक में राजस्थान ने जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, दादर नगर हवेली सहित कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया। इसमें पुरुषों की अपेक्षा महिला साक्षरता दर में ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 1991 में पुरुष साक्षरता 54.99 थी, जो वर्ष 2001 में 76.46 पर पहुंच गई। इसी तरह महिला साक्षरता 20,44 से 44.34 पर पहुंच गई।

इस तरह देखा जाए तो राजस्थान साक्षरता के मामले में तेजी से आगे बढ़ते हुए अन्य राज्यों में शामिल है। राजस्थान में प्राथमिक ही नहीं माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि शिक्षा विभाग का दायित्व न केवल बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है बल्कि देश की भावी पीढ़ी के निर्माण में भी अहम भूमिका रखता है। ऐसे में सरकार का पहला प्रयास प्रदेश की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को व्यवस्थित व गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसके लिए सभी तरह की कवायदें की जा रही हैं। शिक्षकों के समानीकरण के द्वारा पदस्थापन, पेपर विद्यालयों या अनावश्यक विद्यालयों का एकीकरण, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की शुरुआत, विभाग में 27 हजार से अधिक पदोन्नतियां, शत– प्रतिशत शिक्षा अधिकारियों को पदों पर पदस्थापन आदि महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर प्रदेश की शिक्षा को नई पहचान दी है जिससे न केवल शिक्षा जगत में बल्कि आम जन में भी खुशी की लहर है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2011–12 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में कुल ₹ 1707.72 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें प्राथमिक

शिक्षा के लिए ₹ 1130 करोड़ का प्रावधान है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹ 418.87 करोड़, साक्षरता एवं सतत शिक्षा के लिए ₹ 35.33 करोड़, विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के बजट को सर्वाधिक करने से स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में ग्रामीण शिक्षा है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि वह शिक्षा के मामले में किसी तरह की रुकावट आड़े नहीं आने देंगे। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा मद को ज्यादा तवज्जो दी गई है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से लागू शिक्षा अधिकार कानून की पालना सर्वोपरि है। इस कानून की पालना के लिए अध्यापकों की नियुक्ति से पूर्व अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अधिकृत किया गया है। राजस्थान सरकार जिन गतिविधियों के जरिए अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधार रही है वह निम्नलिखित हैं –

उत्साह का संचार

दो वर्ष के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में लगभग 27 हजार कार्मिकों की रिकार्ड पदोन्नतियां हुईं जिसमें 10 हजार 641 पदोन्नतियां नियमित डीपीसी एवं 16 हजार 97 की पातेय वेतन के तहत की गई हैं। साथ ही महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार पेपर विद्यालय एवं जहां एक से अधिक समान प्रकृति की शालाएं थीं और विद्यार्थी संख्या न्यून होने के कारण अनावश्यक थी ऐसे कुल 2 हजार 498 विद्यालयों का एकीकरण एवं छात्रों के अनुपात में शिक्षक व्यवस्था करने के उद्देश्य से 25 हजार 271 शिक्षकों का समानीकरण कर आवश्यकता वाले स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया। इससे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बढ़ी। साथ ही विभाग से जुड़े लोगों का उत्साह भी बढ़ा।

खोले रोजगार के द्वार

प्रदेश के युवा वर्ग को रोजगार देने को गम्भीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा के 25 हजार से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया आरपीएससी स्तर पर शुरू की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सभी रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जिला परिषदों के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2011–12 के बजट में अध्यापक ग्रेड द्वितीय के उर्दू शिक्षकों के 62 रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं तृतीय श्रेणी के 500 पदों पर उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है। इसी तरह 300 संस्कृत शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पहले से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करके चालू शिक्षा सत्र में ही पूरा करने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री संबल योजना

प्रारम्भिक शिक्षा में विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए 698 शिक्षक पदों के लिए निदेशालय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। विधवा–परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना के जरिए ऐसी महिलाओं को सरकारी खर्चे पर बीएसटीसी अथवा बीएड कराकर उन्हें अध्यापक बनाने की योजना है। इसके पीछे तर्क है कि महिलाओं को सहायता मिलने के साथ ही वे सरकारी स्कूलों में उत्साहपूर्वक बच्चों को शिक्षा दे सकेंगी।

चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य के सभी बच्चों को

स्कूल की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में चाइल्ड ट्रेकिंग सर्वे कराया गया है। इस सर्वे के माध्यम से पता चला है कि राज्य में अनामांकित अथवा ड्राप आउट बच्चों की संख्या करीब 12 लाख है। इस समस्या के समाधान के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इस योजना के तहत पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का शिक्षा विभाग सहयोग ले रहा है। गांवों में स्थित विद्यालयों में बनने वाली समिति संबंधित बच्चों एवं उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की जिम्मदेारी निभाएगी।

एक कार्यक्रम, कई फायदे

राजकीय स्कूलों की प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का नामांकन

बढ़ाने व ड्रॉप आउट रोकने के लिए निजी स्कूलों की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 व 2 के बच्चों को खेल–खेल में शिक्षा देने के लिए लहर कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में पहले चरण में पिछड़े 186 विकास खंडों के 4 हजार 705 विद्यालयों में 4 हजार 710 मॉडल क्लस्टर विद्यालय एवं 25 जयपुर शहर के विद्यालय सम्मिलित किए गए। सत्र 2009–10 में 1 हजार 412 नए विद्यालयों में प्रारम्भ किया गया। इस तरह 6 हजार 147 विद्यालयों में लहर कार्यक्रम चला। सत्र 2010–11 में 4 हजार 406 नवीन विद्यालयों का चयन कर कार्यक्रम का विस्तार किया गया। वर्ष 2011–12 में भी विद्यालयों का चयन किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 0 से 6 आयु वर्ग के छोटे बच्चों का स्कूलों से जुड़ाव बनाए रखने एवं खेल–खेल में शिक्षा देने के लिए चालू सत्र से ही सभी प्राथमिक स्कूलों में एक कक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराया गया है। इससे स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है तथा ड्रॉप आउट की दर भी कम हुई है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा

विभाग ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें बालिकाओं के लिए 200 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन है। इसमें 15 हजार 155 बालिकाएं शिक्षित हो रही हैं। इस सत्र से 74 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक की शिक्षण व्यवस्था एवं शेष सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में आगामी वर्षों में कक्षा 12 तक की पढ़ाई शुरू करने की योजना है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लॉकों में बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। इसी तरह 14 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में भी छात्रावास की सुविधा दी जा रही है। इनमें से 74 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में इसी सत्र से उच्च माध्यमिक की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है।

इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं निशक्त बालिकाओं को बोर्ड की कक्षा 8, 10 और 12 की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 25 हजार रुपये, 40 हजार रुपये और 50 हजार रुपये का इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इससे बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रति जागरुकता ही नहीं आई बल्कि उनमें प्रतियोगिता की भावना भी पैदा हुई है। साथ ही अभिभावक भी उन्हें अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही प्रतिभावान बालिकाओं को सम्बल प्रदान कर प्रोत्साहन देने के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम तीन छात्राओं को विदेश में स्नात्तक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिनकी शिक्षा पर होने वाला संपूर्ण व्यय बालिका शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा वहन किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट वाउचर्स व निःशुल्क साईकिल भी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वितरित की जा रही है।

अल्पसंख्यक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश

राज्य सरकार अल्पसंख्यक बालक–बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी निरन्तर प्रयासरत है। इसके तहत अल्पसंख्यक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 700 मदरसों में 2 करोड़ रुपये की लागत से 700 कम्प्यूटरों की व्यवस्था की गई। चालू वित्तीय वर्ष में भी 500 कम्प्यूटर मदरसों को अतिरिक्त दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही 2 लाख 25 हजार बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया। 200 मदरसों में कक्षा–कक्षों का निर्माण एवं भवन मरम्मत के लिए प्रत्येक को 1–1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, 200 मदरसों को कक्षा 8 तक की क्रमोन्नति, 2 हजार मदरसों में दरी/फर्श व खेलकूद के सामान

राजस्थान में साक्षरता की स्थिति			
वर्ष	कुल	पुरुष	महिला
1951	8.50	13.88	2.66
1961	18.12	28.08	7.01
1971	22.57	33.87	10.06
1981	30.11	44.77	14.00
1991	38.55	54.99	20.44
2001	61.03	76.46	44.34

का वितरण, अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए 14 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की शुरुआत तथा भारत सरकार के सहयोग से प्री–मैट्रिक छात्रवृत्तियां गत वर्ष 19 हजार के बजाय इस वर्ष 66 हजार 110 विद्यार्थियों को वितरित की गई।

एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू

राजस्थान में भी देश के अनुरूप समान शिक्षा व्यवस्था एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शैक्षणिक सत्र 2010–11 से ही कक्षा 9 एवं 11 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। अगले सत्र 2011–12 में कक्षा 6 से 12 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने तथा शैक्षणिक सत्र 2012–13 से प्रदेश की सभी 1 से 12 तक की कक्षाओं में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने की योजना है।

आधारभूत संरचना पर ध्यान

प्रदेश में शैक्षिक सुधार के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया। इसके तहत वर्ष 2009–10 में 2 हजार 26 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 12 हजार 401 शौचालय, 2 हजार 495 पेयजल सुविधा, 1 हजार 9 चारदीवारी, 917 प्रधानाध्यापक कक्ष, 3 हजार 6 14 विद्युत सुविधा, 36 हजार 955 विद्यालयों में फर्नीचर व्यवस्था, 37 हजार 029 विद्यालयों में मरम्मत एवं रखरखाव सुविधा, 582 विशेष शौचालय, 1767 विद्यालयों में रैम्पस निर्मित किए गए। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2 लाख 97 हजार 270 एससी, एसटी छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें दी गई। कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम 4 हजार 142 विद्यालयों में लागू किया गया।

जनजाति क्षेत्र पर ध्यान

साक्षरता के मामले में जनजाति क्षेत्र में अभी स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ जिले की 500 आंगनबाड़ी में छह साल से कम उम्र के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग लेने वालों की नियुक्ति करने की तैयारी है।

महिला साक्षरता दर का ध्यान

राज्य में क्षेत्रवार महिला साक्षरता दर का ध्यान रखा जा रहा है। जिस इलाके में महिला साक्षरता दर कम है, वहां कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य में चालू सत्र में 134 ब्लॉकों का चयन किया गया है, जिनमें मॉडल स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। इन मॉडल स्कूलों पर वर्ष 2011–12 में चार सौ करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस साल से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का विस्तार किया गया है। इसके तहत अब राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से 12 में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं का विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में एक लाख रुपये का बीमा किया जाएगा। अभी तक इस योजना में कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को 20 हजार और कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों का 50 हजार रुपये बीमा किया जाता था।

राजस्थान में उच्च शिक्षा कार्यक्रम

राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक के साथ ही उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चूंकि प्राथमिक स्तर पर जिस अनुपात में साक्षरता दर बढ़ रही है, उसी अनुपात में भविष्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था की भी जरूरत पड़ेगी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार अभी से तैयार है। वर्ष 2011–12 के बजट में बालिका शिक्षा के तहत सवाई माधोपुर में दो करोड़ की लागत से राजकीय महिला महाविद्यालय भवन का निर्माण होगा। इसी तरह अगले साल महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के दो सौ रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई है।

राजस्थान में महाविद्यालय कॉलेज शिक्षा विभाग की स्थापना 1958 में हुई। वर्ष 1958 में सिर्फ 40 महाविद्यालय इसके अन्तर्गत थे जिनमें 24 राजकीय, 13 अनुदानित, 3 गैर–अनुदानित थे। अब अकेले सामान्य शिक्षा के महाविद्यालयों की संख्या 1312 हो गई है। इसमें 127 राजकीय महाविद्यालय, 15 राजकीय विधि महाविद्यालय, 70 अनुदानिक, 1088 निजी, नौ स्ववित्तपोषित संस्थाएं एवं तीन राजकीय व निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं। इसके अलावा 2011–12 में 145 नए महाविद्यालय खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसमें राजकीय क्षेत्र के 15 हैं। वर्ष 2010–11 के लिए निजी क्षेत्र में 281 नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अस्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिनमें 76 महिला महाविद्यालय सम्मिलित हैं। इसी तरह वर्ष 2011–12 के लिए निजी क्षेत्र में 145 नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए जिनमें 43 महिला महाविद्यालय सम्मिलित हैं। इसके अलावा राजस्थान में विभिन्न तकनीकी महाविद्यालय हैं। मालूम हो कि देश में 22 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे में आते हैं, लेकिन इनमें महज 1.3 करोड़ ही विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंच पा रहे हैं। सरकार ने मौजूदा 12 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2020 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में राजस्थान भी अग्रसर है। अब राज्य सरकार की ओर से बाड़मेर, बारां, चुरू, करौली, धौलपुर, जैसलमेर में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिए राज्य सरकार ने निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की बात कही है। निश्चित रूप से इससे राजस्थान के शैक्षिक विकास में चार चांद लगेंगे।

महिला शिक्षा का विकास

राजस्थान में महिला शिक्षा का निरंतर विकास हो रहा है। राज्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त हैं। इसका असर यह हुआ कि वर्ष 1997–98 में छात्राओं की संख्या मात्र 60 हजार थी वहीं वर्ष 2010–11 में इनकी संख्या बढ़कर 1.87 लाख हो गई।

(लेखिका निजी शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं)

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी खंड-4, तल-7

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
पड़ोसी देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)

धान की उन्नत खेती से अधिक आमदनी

डॉ. यशबीर सिंह शिवे

धान की फसल हमारे देश की एक प्रमुख फसल है। लगभग तीन–चौथाई लोगों का भरण–पोषण इसी फसल के द्वारा होता है। वैसे तो प्रायः सभी राज्यों में धान की पैदावार की जाती है परन्तु जहां अधिक वर्षा व सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उन राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर हम धान की खेती को वैज्ञानिक तरीके से करे तो इसकी उपज को 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। हमारे किसान भाईयों को धान की भरपूर पैदावार लेने के लिए अपने खेतों में उन्नत किस्मों का प्रयोग करना चाहिए।

धान हमारे देश की मुख्य फसल है। देश के लगभग 65 – 75 प्रतिशत जनता का भरण–पोषण इसी फसल के द्वारा होता है। धान की खेती विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में लगभग 45.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र (2008–09) में की जाती है। प्रायः सभी राज्यों में यह फसल उगाई जाती है, किन्तु जहां अधिक बर्षा और सिंचाई का प्रबन्ध है वहां पर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आजकल धान का उत्पादन लगभग 99.2 मिलियन टन (2008–09) तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर धान की औसत पैदावार 2.20 टन प्रति हेक्टेयर (2008–09) है। अधिक पैदावार देने वाली खाद और सिंचाई का अधिक उपयोग करने और धान की उन्नत किस्मों के प्रचलन से लगभग पिछले दो दशकों में धान की पैदावार में व्यापक वृद्धि हुई है, फिर भी यह उपयोग क्षमता से काफी कम है। हमारे देश में धान की खेती मुख्यतः तीन परिस्थितियों में की जाती है:–

- वर्षा आश्रित ऊंची भूमि
- वर्षा आश्रित निचली भूमि

और

- सिंचित धान की भूमि।

यदि हम धान की फसल को वैज्ञानिक तरीके से उगायें और कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखे तो निश्चित रूप से हम इसकी ऊपज में 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य सस्य क्रियाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

भूमि का चुनाव और तैयारी

धान की खेती के लिए अच्छी उर्वरता वाली समतल व अच्छे धारण क्षमता वाली मटियार या चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम होती है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने पर हल्की भूमियों में भी धान की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। जिस खेत में धान की रोपाई करनी हो, उसमें अप्रैल–मई के महिनों में हरी खाद के लिए ढ़ैंचा या सनई की बुवाई 20–25 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टेयर की दर से कर देनी चाहिए। आवश्यकतानुसार सिंचाई करते रहें और जब ढ़ैंचा या सनई की फसल लगभग 6–7 सप्ताह की हो जाए तो उसे मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें तथा खेत में पानी भर दें, जिससे ढ़ैंचा या सनई अच्छी तरह से गल–सड़ जाए। अगर हरी खाद का प्रयोग नहीं कर रहे हों तो 20–22 टन गली–सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बिखेर कर अच्छी तरह जुताई करे।

उन्नतशील किस्मों का चुनाव

धान की खेती के लिए अपने क्षेत्र विशेष के लिए उन्नत किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। इसके लिए कुछ प्रमुख किस्में निम्न है:

अगेती किस्में (110–115 दिन):

इनमें मुख्य रूप से पूसा 2–21, पूसा–33, पूसा– 834, पी. एन.आर. 831, पी. एन. आर.– 162, नरेन्द्र धान – 86, गोविन्द, साकेत– 4, एवं नरेन्द्र धान–97 आदि प्रमुख हैं। इनकी नर्सरी का समय 15 मई से 15 जून तक है तथा इनकी पैदावार लगभग 4.5 से 6.0 टन प्रति हेक्टेयर तक है।

मध्य अवधि की किस्में (120–125 दिन)

इनमें मुख्य किस्में पूसा– 169, पूसा–205, पूसा–44, सरजू–52, पंतधान–10, पन्तधान–12, आई.आर.–64 आदि प्रमुख हैं। इनकी नर्सरी डालने का मुख्य समय 15 मई से 20 जून तक है तथा औसत उपज लगभग 5.5–6.5 टन प्रति हेक्टेयर है।

लम्बी अवधि वाली किस्में (130 और इससे ज्यादा दिन वाली)

इस वर्ग में पी. आर.–106, मालवीय–36 नरेन्द्र–359, महसूरी आदि प्रमुख हैं। इनकी औसत उपज लगभग 6.0 से 7.0 टन प्रति हेक्टेयर है तथा इनकी नर्सरी डालने का मुख्य समय 20 मई से 20 जून तक है।

बासमती किस्में

इनमें प्रमुख रूप से पूसा बासमती –1 पूसा सुगन्ध –2,पूसा सुगन्ध –3, पूसा सुगन्ध–4 (पूसा बासमती 1121), पूसा सुगन्ध –5 (पूसा 2511), कस्तूरी – 385, बासमती – 370 तराबड़ी बासमती आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त कुछ किस्में जैसे शरबती, अंगूरी, टेरीकोट आदि हैं। इन सभी किस्मों की नर्सरी डालने का समय 15 मई से 15 जून तक है।

संकर किस्में

इनमें प्रमुख रूप से पंत संकर धान –1, नरेन्द्र संकर धान–2, प्रो. एग्रो.–6201, पी.एच.बी.–71, एच.आर.आई–120, आर.एच–204 और हाल ही में विश्व का प्रथम बासमती संकर धान पूसा राइस हाइब्रिड–10 (पी.आर.एच.–10) पूसा, नई दिल्ली में विकसित किया गया है। इन किस्मों के अतिरिक्त भी कुछ निजी कंपनियों की और भी किस्में है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जा रही हैं।

बीज की मात्रा और चुनाव

चुनी हुई किस्मों का बीज किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ही लेना चाहिए। एक बार प्रमाणित बीज लेने के बाद उसे तीन साल तक बदलने की आवश्यकता नहीं होती हैं। अगर किसान भाई अपना बीज प्रयोग कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीज में अंकुरण का प्रतिशत 80–90 प्रतिशत होना चाहिए। बुवाई से पहले स्वस्थ बीजों की छंटनी कर लेनी चाहिए। इसके लिए 10 प्रतिशत नमक के घोल का प्रयोग करते हैं। नमक का घोल बनाने के लिए 200 कि. ग्राम सामान्य नमक 20 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में 3.0 कि. ग्राम बीज़ डालकर अच्छी तरह हिलाएं। ऐसा करने से स्वस्थ और भारी बीज नीचे बैठ जाते हैं, और खोखले बीज और हल्के बीज ऊपर तैरने लगेंगे। इस

तरह साफ व स्वस्थ छांटा हुआ 20 कि. ग्राम बीज महीन दाने वाली किस्मों में तथा 25 कि.ग्राम बीज मोटे दानों की किस्मों में एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए पौध तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है। संकर किस्मों के लिए लगभग 12–15 कि. ग्राम बीज एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए पौध तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है।

बीज का उपचार

फफूंद और जीवाणुनाशी दवाओं के घोल से बीज का उपचार करने से बीज के द्वारा फैलने वाली फफूंद और जीवाणु जनित बीमारियों का नियंत्रण हो जाता है। इसके लिए 5 ग्राम इमिसान या 10 ग्राम वॉविस्टीन और 2.5 ग्राम पोसा माइसिन या 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लीन या 2.5 ग्राम एग्रीमाइसीन 10 लीटर पानी में घोल लें। अब 20 कि. ग्राम छांटे हुए बीज को 25 लीटर उपरोक्त घोल में 24 घंटे के लिए रखें। इस उपचार से जड़ गलन (फूट रॉट), झौंका (ब्लास्ट) और पत्ती झुलसा रोग (बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट) आदि बीमारियों के नियंत्रण में सहायता मिलती है।

सारणी 1. धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ शाकनाशियों का ब्यौरा :–

खरपतवारनाशी रसायन	माला (कि.ग्रा.) सक्रिय पदार्थ प्रति हेक्टेयर	प्रयोग का समय	नियंत्रित खरपतवार
ब्यूटाक्लोर (मिचौटी)	1.5–2.0	बुवाई/रोपाई के 3–4 दिन बाद	घास कुल के खरपतवार
एनिलोफास (एनिलो गार्ड)	0.4–0.5	तदैव	घास कुल और मौथा कुल के खरपतवार
पैंडिमैथालिन (स्टम्प)	1.0–1.5	तदैव	घास, मौथा और चौड़ी पत्ती कले खरपतवार
प्रेटिलाक्लोर (रिफिट)	0.5–1.0	तदैव	तदैव

नर्सरी की तैयारी एवं प्रबन्धन

पौधशाला का क्षेत्रफल

नर्सरी ऐसी भूमि में तैयार करनी चाहिए जो उपजाऊ अच्छे जल निकास वाली व जल स्त्रोत के पास हो। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की रोपाई के लिए 1/10 हेक्टेयर (1000 वर्गमीटर) क्षेत्रफल में पौध तैयार करना पर्याप्त होता है।

नर्सरी की बुवाई का समय

धान की नर्सरी की बुवाई का सही समय वैसे तो विभिन्न किस्मों की अवधि पर निर्भर करता है, लेकिन 15 मई से लेकर 20 जून तक का समय बुवाई के लिए उपयुक्त पाया गया है।

नर्सरी बोने की विधि

धान की नर्सरी भीगी विधि से पौध तैयार करने का तरीका उत्तरी भारत में अधिक प्रचलित है। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2–3 बार जुताई करते हैं ताकि मिट्टी लेहयुक्त हो जाएं तथा खरपतवार नष्ट हो जाएं। आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। जब मिट्टी की सतह पर पानी न रहे तो खेत को 1.25 से 1.50 मीटर चौड़ी तथा सुविधानुसार लम्बी क्यारियों में बांट लें ताकि बुवाई, निराई और सिंचाई की विभिन्न सस्य क्रियाऐं आसानी से की जा सकें। क्यारियां बनाने के बाद पौध शाला में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर दें और अंकुरित बीजों को समान रूप से क्यारियों में बिखेर दें। अगले दिन सुबह खड़ा पानी निकाल दें और एक दिन बाद ताजे पानी से सिंचाई करें। यह प्रक्रिया 6–7 दिनों तक दोहराएं। इसके बाद खेत में लगातार पानी रखें, परन्तु इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी अवस्था में पौध पानी में डूबे नहीं।

रोपाई के लिए पौध की उम्र

सामान्यतः जब पौधे 20–25 दिनों की हो जाए तथा उसमें 5–6 पत्तियां निकल जाएं तो यह रोपाई के लिए उपयुक्त होती है। यदि पौध की उम्र ज्यादा होगी तो रोपाई के बाद कुल्ले कम फूटते हैं और उपज में भी कमी आती है। पौध की उम्र 35 दिनों से अधिक हो गई हो तो उसका उपयोग रोपाई के लिए नहीं करना चाहिए। संकर धान की रोपाई लगभग 18 से 20 दिन बाद कर देनी चाहिए।

पौध की रोपाई

रोपाई के लिए पौध उखाड़ने से एक दिन पहले नर्सरी में पानी लगा दें और पौध उखाड़ते समय सावधानी रखे। पौधों की जड़ों को धोते समय नुकसान न होने दें तथा पौधों को काफी नीचे से पकड़े। पौध की रोपाई पंक्तियों में करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से.मी. तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से. मीटर रखनी चाहिए। एक स्थान पर 2 से 3 पौधे ही लगाएं। इस प्रकार एक वर्गमीटर में लगभग 50 पौधे होने चाहिए।

खाद और उर्वरक की मात्रा एवं प्रयोग

अधिक उपज और भूमि की उर्वरता शक्ति बनाये रखने के लिए हरी खाद या गोबर या कम्पोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। हरी खाद हेतु सनई या ढ़ैंचा का प्रयोग किया गया हो तो नाइट्रोजन की मात्रा कम की जा सकती है, क्योंकि सनई या ढ़ैचा से लगभग 50–60 कि. ग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। उर्वरकों का प्रयोग भूमि परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। धान की बौनी किस्मों के लिए 130 कि. ग्राम नाइट्रोजन, 60 कि. ग्राम फॉस्फोरस, 40 कि. ग्राम पोटाश और 25 कि. ग्राम जिंक

सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। बासमती किस्मों के लिए 100–110 कि. ग्राम नाइट्रोजन, 50–60 कि. ग्राम फॉस्फोरस, 40–50 कि. ग्राम पोटाश और 20–25 कि.ग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। यूरिया की पहली एक तिहाई मात्रा का प्रयोग रोपाई के 5–8 दिन बाद करें जब पौधे अच्छी तरह से जड़ पकड़ लें। दूसरी एक तिहाई यूरिया की मात्रा कल्ले फूटते समय (रोपाई के 25–30 दिन बाद) तथा शेष एक तिहाई हिस्सा फूल आने से पहले (रोपाई के 50–60 दिन बाद) खड़ी फसल में छिड़काव करके करें।

फास्फोरस की पूरी मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट या डाई अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) के द्वारा पोटास की भी पूरी मात्रा म्यरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा धान की रोपाई करने से पहले अच्छी प्रकार मिट्टी में मिला देनी चाहिए। यदि किसी कारणवश पौध रोपते समय जिंक सल्फेट खाद न डाला गया हो तो इसका छिड़काव भी किया जा सकता है। इसके लिए 15 –15 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव 0.5 प्रतिशत जिंक सल्फेट + 2.5 प्रतिशत यूरिया के घोल के साथ करना चाहिए। पहला छिड़काव रोपाई के एक महीने बाद करें।

नील हरित शैवाल का प्रयोग

नील हरित शैवाल का प्रयोग करने से नाइट्रोजन की मात्रा में लगभग 20–25 कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कमी कर सकते हैं। नील हरित शैवाल के लिए 10–15 कि. ग्राम टीका (मृदा आधारित) रोपाई के एक सप्ताह के बाद खड़े पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से बिखरे दें। शैवाल का प्रयोग कम से कम तीन साल तक लगातार करें इससे अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। मृदा आधारित टीका जिसमें शैवाल के जीवाणु होते है। 10 रुपये प्रति कि. ग्राम की दर से मिलता है। अगर नील हरित शैवाल का प्रयोग कर रहें हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खेत में पानी सूखने नहीं पाये नहीं तो शैवाल जमीन से चिपक जाएंगे और उनकी नाइट्रोजन एकत्रीकरण की क्षमता में कमी आ जाती है।

सिंचाई और जल प्रबन्धन

धान की फसल के लिए पानी नितान्त आवश्यकता हैं, परन्तु फसल में अधिक पानी भरा रहना आवश्यक नहीं है। रोपाई के 2–3 सप्ताह तक 5–6 से.मी. पानी बराबर खड़ा रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यकतानुसार खेत में पानी भरना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि फुटाव से लेकर दाना भरने तक खेत में नमी की कमी न होने पाए तथा भूमि में दरार न पड़ने पाए अन्यथा पैदावार में भारी कमी हो सकती हैं।

निराई, गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण

धान के खतरनाक नष्ट करने के लिए खुरपी या पैड़ीवीडर का प्रयोग किया जा सकता है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ शाकनाशियों का उल्लेख सारणी –1 में किया गया है।

शाकनाशियों के प्रयोग करने की विधि

- खरपतवार नाशी रसायनों की अवश्यक मात्रा को 600–700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव करना चाहिए।
- रोपाई वाले धान में खरपतवारनाशी रसायनों की आवश्यक मात्रा को 60 कि. ग्राम सूखी रेत में अच्छी तरह मिलाकर रोपाई के 2–3 दिन के बाद 4–5 से.मी. पानी में समान रूप से बिखरे देनी चाहिए।

सावधानियां

- प्रत्येक खरपतवारनाशी रसायन के उपयोग से पहले डिब्बे पर लिखे गए निर्देशों तथा उसके साथ दिए गए पर्चे को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा बताए गए तरीके का विधिवत पालन करे।
- शाकनाशी रसायनों की पर्याप्त मात्रा का उचित समय पर छिड़काव करें।
- पानी का उचित मात्रा में प्रयोग करें।
- शाकनाशी और पानी के घोल को छानकर ही स्प्रे मशीन में भरना चाहिए।
- शाकनाशी का पूरे खेत में समान रूप से छिड़काव करें।
- छिड़काव करते समय मौसम साफ होना चाहिए तथा हवा की गति तेज नहीं होनी चाहिए।
- छिड़काव के समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।

प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम

ब्लास्ट या झोंका रोग : यह रोग फफूंद से फैलता है। पौधे के सभी भाग इस बीमारी द्वारा प्रभावित होते हैं। वृद्धि अवस्था में यह रोग पत्तियों पर धब्बों के रूप में दिखाई देता है। इसके धब्बों के किनारे कत्थई रंग के तथा बीच वाला भाग राख के रंग का होता है। रोग के तेजी से आक्रमण होने पर बाली का आधार भी ग्रसित हो जाता है। फलस्वरूप बाली अधर से मुड़कर लटक जाती है। फलतः दाने दाने का भराव भी पूरा नहीं हो पाता है।

नियंत्रण

उपचारित बीज ही बोयें, जुलाई के प्रथम पखवाड़े में रोपाई पूरी कर लें। देर से रोपाई करने पर झोंका रोग के लगने की संभावना बढ़ जाती है। यदि पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगें तो कार्बेन्डाजिम 500 ग्राम या हिनोसान 500 मि.ली. दवा 500–600 लीटर पानी में घोल बनाकर एक हेक्टेयर में छिड़काव करें। इस तरह इन दवाओं का छिड़काव 2–3 बार 10 दिनों के अंतराल पर आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। संवदेनशील किस्मों में बीमारी आने पर नाइट्रोजन का कम प्रयोग करें, और रोग ग्रस्त फसल के अवशेषों को कटाई के बाद जला देना चाहिए।

पत्ती का झुलसा रोग

यह बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। पौधे की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक यह रोग कभी भी हो सकता है। इस रोग में पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग से शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगते हैं। सूखे पीले पत्तों के साथ–साथ राख के रंग के चकते भी दिखाई देते हैं। पूरी फसल झुलसी–सी प्रतीत होती है। इसलिए इसे झुलसा रोग कहते हैं।

नियंत्रण

इसके नियंत्रण के लिए नाइट्रोजन की टॉपड्रेसिंग यदि बाकी हो तो रोक देना चाहिए। पानी निकालकर प्रति हेक्टेयर स्ट्रेप्टोसाइक्लीन 15 ग्राम या 500 ग्राम कॉपर आक्सीक्लोराइड जैसे बलाइटाक्स 50 या फाइलेटॉन का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 10–12 दिन के अंतराल पर 2–3 छिड़काव करने चाहिए।, जिस खेत में बीमारी लगी उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें। इससे बीमारी के फैलने की आशंका होती है।

गुलान झुलसा (शीथ ब्लाइट)

यह बीमारी भी फफूंद द्वारा फैलती है। इसके प्रकोप से पत्ती के शीथ (गुतान) पर 2–3 से. मी. लम्बे हरे से भूरे धब्बे पड़ते हैं जो कि बाद में चलकर भूरे रंग के होते हैं। धब्बों के चारों तरफ नीले रंग की पतली धारी–सी बन जाती हैं।

नियंत्रण

इस बीमारी की रोकथाम के लिए निम्नलिखित दवाओं का छिड़काव करें।

कार्बेन्डाजिम 500 ग्राम दवा 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

बॉविस्टीन की 300 मि.ली. मात्रा या हिनोसान 1 लीटर मात्रा का 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

अगर बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो नाइट्रोजन का छिड़काव कम करें।

टुंग्रो विषाणु रोग

यह रोग हरे फुल्के कीट द्वारा फैलता है। यदि रोग का प्रकोप प्रारम्भिक अवस्था यानी 60 दिन में पूर्ण होता है तो पौधे रोग के कारण बौने रह जाते हैं। कल्ले भी कम बनते है पत्तियों का रंग संतरे के रंग का या भूरा हो जाता है। रोग ग्रस्त पौधों में बालियां देर से बनती हैं, जिनमें दाने या तो पड़ते ही नहीं और यदि पड़ते हैं तो बहुत हल्के।

नियंत्रण

- इस बीमारी की रोकथाम के लिए जैसे ही खेत में एक–दो रोगी पौधे दिखाई दे वैसे ही उन्हें खेत से बाहर निकाल देना चाहिए।
- रोपाई से पूर्व पौधे की जड़ों को 0.2 प्रतिशत क्लोरपायरीफॉस घोल में डुबाना चाहिए।

- कल्ले बनते समय तथा बाल पर कार्बोफ्यूरान 3 जी प्रति हेक्टेयर 20 कि. ग्राम की दर से 3–5 से.मी. पानी में प्रयोग करना चाहिए।

धान के प्रमुख कीट और नियंत्रण

धान की फसल पर निम्नलिखित कीट–पंतगे मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं :

तना छेदक (स्टेग बोरर)

यह धारीदार गुलाबी पीले या सफेद रंग का होता है। इस कीड़े की सूंड़ी नुकसान पहुंचाती है। फसल की प्रारम्भिक अवस्था में इसके प्रकोप से पौधों का मुख्य तना सूख जाता है, इसे डेड हर्ट कहते हैं।

नियंत्रण

- इसके नियंत्रण के लिए रोपाई के 20–25 और 70 दिन बाद 250 मि.ली. डेमेक्रान 85 ई.सी. या 800 मि. ली. मानोक्रोटोफास 30 डब्ल्यू. पी. की मात्रा 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने या 25 कि. ग्रा. कार्बोफ्यूरॉन रोपाई के 30 और 70 दिन बाद खड़े पानी में डालें।
- तना छेदक कीड़े की सूंड़ी को अगले साल फैलने से रोकने के लिए धान की जड़ों को जलाकर समाप्त कर दें।
- तना छेदक कीड़े को लाइट ट्रेप से पकड़कर समाप्त कर सकते हैं।

पत्ती लपेट कीड़ा (लीफ फोल्डर)

इस कीड़े की सूंड़ी पौधों की कोमल पत्तियों के सिर की तरफ से लपेटकर सुरंग–सी बना लेती हैं और उसके अंदर –अंदर खाती रहती है। फलस्वरूप पौधों की पत्तियों का रंग उड़ जाता है और पत्तियां सिर की तरफ से सूख जाती हैं। अधिक नुकसान होने पर फसल सफेद और जली–सी दिखाई देने लगती है। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इसके द्वारा नुकसान होता है।

नियंत्रण

कीड़ों को लाइट ट्रेप पर इकट्ठा करके मार सकते है।

इण्डोसल्फॉन (35 सी.सी.) दवा की एक लीटर मात्रा 500–600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।

धान का गंधी कीड़ा

इस कीड़े के प्रौढ़ व निम्न दोनों दूधिया दानों और पत्तियों का रस चूसते है। फलस्वरूप दाना आंशिक रूप से भरता है या खोखला रह जाता है। इस कीड़े को छूने से या पकड़ने से बहुत तीखी गंध निकलती है। इसी कारण इसे गंधी बग भी कहते हैं।

नियंत्रण

इस कीड़े की रोकथाम के लिए फॉलीडाल या मैलाथिमॉन धूल का 30 कि.ग्राम. प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें या इण्डोसल्फॉन 35 ई.सी. की 1.2 लीटर दवा 500–600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छड़काव करें।

कटाई एवं मंड़ाई

बालिया निकलने के लगभग एक माह बाद सभी किस्में पक जाती हैं। कटाई के लिए जब 80 प्रतिशत बालियों में 80 प्रतिशत दाने पक जाएं और उनमें नमी 20 प्रतिशत हो, वह समय कटाई के लिए उपयुक्त होता है। कटाई दरांती से जमीन की सतह से 15–20 सें.मी ऊपर से करनी चाहिए। मंड़ाई साधारणतया हाथ से पीटकर की जाती है। शक्ति चालित थ्रेसर का उपयोग भी बड़े किसान मंड़ाई के लिए करते हैं। कम्बाईन के द्वारा कटाई और मंड़ाई का कार्य एक साथ भी हो जाता हैं। मंड़ाई के बाद दानों की सफाई कर लेते हैं। सफाई के बाद धान के दानों को अच्छी तरह सुखा कर ही भण्डारण करना चाहिए। भण्डारण से पूर्व दानों को 12 प्रतिशत नमी तक सुखा लेते हैं।

उपज

समस्त उपर्युक्त सस्य क्रियाओं व किस्मों को अपनाने पर शीघ्र पकने वाली किस्मों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 4 से 5 टन, मध्य व देर से पकने वाली किस्मों से प्रति हेक्टेयर उपज 5 से 6 टन और संकर धान से प्रति हेक्टेयर औसत उपज 6 से 7 टन प्राप्त होती है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सस्य विज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं।)

ई– मेलः ysshiray@hotmail.com

बैंगन बड़े काम की चीज

शरद कुमार पांडेय

बैंगन में पर्याप्त मात्रा में पानी, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन ए, और सी के साथ-साथ आयरन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन बी काम्प्लेक्स समूह के विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 1 और बी 3 आदि भी पाए जाते हैं। यह शुष्क और गर्म प्रकृति का होता है। साथ ही, फाइटोन्यूट्रीएंट और फ्री रैडिकल भी काफी पाए जाते हैं, यह एंटीआक्सीडेंट का काम करते हैं जो हमें रोगों से बचाने में मदद करता है। बैंगन में पाए जाने वाले केमिकल शरीर के अंदर पाई जाने वाली गंदगी को साफ करते हैं।

थाली का बैंगन, बैंगन के सिर पर ताज...., बैंगन है या बेगुन। बैंगन को लेकर पूरे देश में तरह–तरह की कहावतें हैं। बैंगन यही तक सीमित नहीं है। इसकी कहावतें अकबर और बीरबल के साथ भी जोड़ी गई हैं। लेकिन वो जमाना और था। आज विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है कि शोधों से झट से मालूम हो जाता है कि क्या नुकसानदेह है और क्या फायदेमंद। बैंगन को लेकर तरह–तरह की आशंकाओं को वैज्ञानिकों ने दूर कर यह प्रमाणित कर दिया है कि वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रीएंट है जो आसानी से उपलब्ध है। ये कांटे वाले झाड़ीनुमा पौधे पर पैदा होता है। इनके पौधों की अधिकतम ऊंचाई 28 इंच तक होती है। हालांकि बैंगन की कई किस्में होती हैं लेकिन तीन–चार प्रकार के बैंगन ही खाने में प्रयोग किए जाते हैं।

बैंगन में पर्याप्त मात्रा में पानी, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन ए, और सी के साथ–साथ आयरन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन बी काम्प्लेक्स समूह के विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 1 और बी 3 आदि भी पाए जाते हैं। यह शुष्क और गर्म प्रकृति का होता है। साथ ही, फाइटोन्यूट्रीएंट और फ्री रैडिकल भी काफी पाए जाते हैं, यह एंटीआक्सीडेंट का काम करते हैं जो हमें रोगों से बचाने में मदद करता है। बैंगन में पाए जाने वाले कैमिकल शरीर के अंदर पाई जाने वाली गंदगी को साफ करते हैं।

बैंगन के नाम

गोल बैंगन को गांव की भाषा में भाटा बोलते हैं और इसे अंग्रेजी में एग प्लांट भी कहते हैं। चूंकि इसका आकार अंडे जैसा होता है और अंदर से सफेद होता है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम सोलनम मेलोगेना है। यह इतना पौष्टिक होता है कि इसे गरीबों का मीट भी कहा जाता है। यानी जो लोग मीट खाने में सक्षम न हो, वो लोग बैंगन खाकर मीट वाले न्यूट्रीएंट पा सकते हैं।

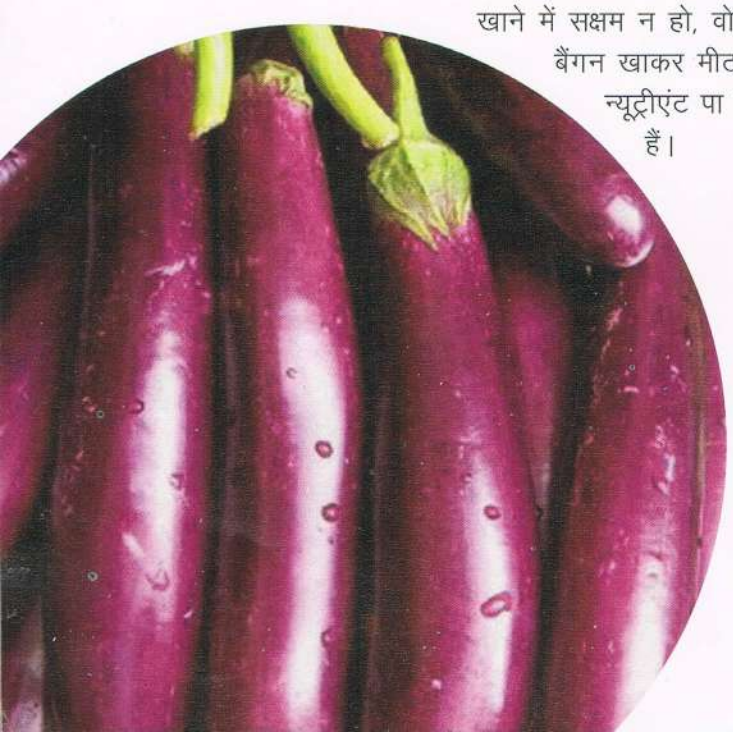

किन रोगों में खाएं बैंगन

कोलेस्ट्रोल को करता है कम

कोलेस्ट्रोल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए बैंगन अच्छा माध्यम है। बैंगन में पाया जाने वाला पोटेशियम धमनियों की सफाई का काम करता है। गौरतलब है कि कोलेस्ट्रोल की अधिकता से धमनियों में ब्लाकेज की समस्या आ सकती है। और यह ब्लाकेज दिल की बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसलिए बैंगन खाने वाले लोगों को दिल की बीमारी होने का खतरा कम रहता है।

गंभीर बीमारियों के खतरे करे कम

बैंगन में पाए जाने वाले तत्व सेलुलर डैमेज को कम करते हैं। दरअसल सेलुलर डैमेज होने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा यह टाक्सिन को इकट्ठा नहीं होने देता है, उसे साफ करता रहता है। बैंगन अर्थराइटिस के रोगियों के लिए लाभदायक है। जोड़ों में टाक्सिन जमने से अर्थराइटिस होने की आशंका रहती है। बैंगन के सेवन से जोड़ों में टॉक्सिन नहीं जमा होता है। वही मिर्गी जैसी मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होने का खतरा तब रहता है जब शरीर में फ्री रेडिकल या टॉक्सिन की समस्या अधिक हो जाती है। बैंगन में पाए जाने वाले तत्व टॉक्सिन को साफ करते हैं। इसलिए इसका लगातार सेवन मिर्गी से बचाता है। चूंकि सोडियम भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इस वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में प्रभावी है।

बैंगन खाओ पेट की बीमारियों को दूर भगाओ

ज्यादा बीमारियां पेट की गड़बड़ी से शुरू होती हैं जो कई बार धीरे–धीरे गंभीर रूप ले लेती हैं। बैंगन पाचन–तंत्र को दुरुस्त रखता है। बैंगन के साथ टमाटर का सूप पीना लाभदायक है। पेट में कब्ज के होने पर नियमित रूप से बैंगन खाना चाहिए जिससे पेट साफ होता है। अगर पथरी का पता शुरुआत में लग जाए तो उसमें अधिक मात्रा में बैंगन खाना फायदेमंद है। मलेरिया की वजह से तिल्ली बढ़ जाए तो मुलायम बैंगन को चीनी के साथ खाली पेट खाने से लाभ मिलेगा। बैंगन को कसकर लहसुन के साथ खाने में गैस आदि में आराम मिलता है। हाथ–पैरों में पसीना आने और जलन होने पर बैंगन के रस से हथेलियों और पैरों के तलुओं पर मालिश करें, पसीना आने में आराम मिलता है। बैंगन उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जिनका पेट कुछ भी हल्का खाने के बाद फूलने लगता है। लंबे बैंगन खाने से पेट नहीं फूलता है।

नारू फोड़े में लाभदायक

नारू एक ऐसा फोड़ा होता है जिसमें हर समय थोड़ा–थोड़ा रक्त मिला पानी जैसा निकलता रहता है। जख्म से पतला धागा जैसा निकलता प्रतीत होता है। यह बीमारी कुछेक खास स्थानों में

100 ग्राम कच्चे बैंगन में क्या–क्या होता है		
	न्यूट्रीएंट	कितने फीसदी आरडीए
एनर्जी	24 केसीएएल	1
कार्बोहाइड्रेट	5:7 जी	4
प्रोटीन	1 जी	2
कुल फैट	0:19 जी	1
कोलेस्ट्रोल	00 मिग्रा	0
डाइटरी फाइबर	3:40 जी	9
विटामिन		
फोलेट्स	22एमसीजी	5:5
निएसिन	0:649 एमजी	4
पेन्टोथेनिक एसिड	0:281 एमजी	6
प्रीडाक्सिन	0:084 एमजी	6.5 फीसदी
रिबोफ्लेविन	0:037 एमजी	3
थियामिन	0:039 एमजी	3
विटामिन ए	27 आईयू	1
'स्रोतः यूएसडीए नेशनल न्यूट्रीएंट डाटा बेस'		
विटामिन सी	2:2 एमजी	3.5
विटामिन ई	0:30 एमजी	2
विटामिन के	3:5 एमसीजी	3
इलेक्ट्रोलेट्स		
सोडियम	2 एमजी	0
पोटेशियम	230 एमजी	5
मिनरल्स		
कैल्शियम	9 एमजी	1
कॉपर	0:082 एमजी	9
आयरन	0:34 एमजी	3
मैग्नीशियम	14 एमजी	3.5
गैनीज	0:250 एमजी	11
जिंक	0:16 एमजी	1

अधिक पायी जाती है। मसलन राजस्थान के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानों में इस बीमारी के मामले अधिक देखे गए हैं। ऐसे रोगियों को बैंगन को भूनकर उसके गूदे में दही अच्छी तरह मिलाकर नारू वाले स्थान पर बांधने से 10 से 15 दिन में स्राव निकलना बंद हो जाता है और धीरे–धीरे जख्म ठीक हो जाता है।

दिमाग के लिए है उपयोगी

बैंगन दिमाग के लिए बहुत लाभदायक है। इसके सेवन से दिमाग की ताकत बढ़ती है जो स्मरणशक्ति बढ़ाने में मदद करती है। इसलिए इसको 'ब्रेन फूड' भी कहा जाता है।

शुगर के मरीजों के लिए लाभदायक

इसमें एंटी–डाइबेटिक तत्व पाए जाते हैं, जिससे शुगर के मरीजों के लिए भी यह बहुत लाभदायक होता है। शुगर की वजह से जब पैरों में सूजन आ जाती है उन स्थितियों में इसका सेवन राहत देता है। वहीं कुछ स्थानों पर बैंगन शुगर की जांच करने के भी काम आता है।

बवासीर में कारगर

बवासीर वाले रोगियों को बैंगन के ऊपरी भाग को, जिसके सहारे बैंगन पौधे पर लटकते हैं, बैंगन से अलग करने के बाद बारीक पीसकर बवासीर में दर्द और जलन वाले स्थान पर लगाएं, जल्द आराम मिलेगा।

और भी हैं फायदे

जिन लोगों को गहरी नींद न आती हो, उन्हें भोजन में अधिक मात्रा में बैंगन का सेवन करना चाहिए। इससे अनिद्रा से निजात मिलेगी। इसके अलावा शहद के साथ बैंगन खाने से शांत और गहरी नींद आती है। कान में दर्द हो अथवा सूजन आ गयी हो तो बैंगन के कुछ टुकड़ों को आग में डाल दें तथा इसके धुएं को कान में लें। बाद में हाइड्रोजन डालकर कान को साफ कर लें। तुरंत आराम मिलेगा।

विदेशों में भी होता है दवा के रूप में इस्तेमाल

चीन में यह पारंपरिक दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके पौधे को बहते खून को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अफ्रीका के कुछ देशों में मिर्गी और मरोड़ दर्द होने पर दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। दक्षिण–पूर्व एशिया में पेट के कैंसर और खसरा के उपचार में इसे प्रयोग में लाया जाता है।

बैंगन पर शोध

यह बात देश–विदेश में हुए तमाम सर्वे से प्रमाणित हो चुकी है कि बैंगन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ब्राजील के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ साओ पोउलो स्टेट यूनिवर्सिटी में हुए शोध से यह प्रमाणित हुआ है कि कोलेस्ट्रोल की अधिकता के उपचार में गोल बैंगन कारगर हैं। इस दिशा में एआरए रिसर्चर द्वारा

अमेरिका में कई शोध किए गए। इस शोध में जानवरों को भी शामिल किया गया। शोध के दौरान जानवरों को नियमित रूप से बैंगन का जूस दिया गया। कुछ समय बाद इनकी जांच की गयी, जिसमें पाया गया कि इनका कोलेस्ट्रोल का स्तर पहले के मुकाबले कम हो गया।

डाइटीशियन की सलाह

एम्स की पूर्व डाइटीशियन सोनिया नारंग बताती हैं कि बैंगन खाने से तमाम तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। उनका मानना है कि इसकी उपलब्धता सहज होने से लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। जैसे अलसी के बीज को ही लीजिए, पहले कोई नहीं खाता था। लेकिन अब सभी को खाने की सलाह दी जाती है। वैसा ही हाल बैंगन का भी होगा। बैंगन आदर्श रूप में प्रमाणित हो चुका है कि यह बहुगुण वाला है, जिसमें शरीर के लिए तमाम जरूरी न्यूट्रीएंट पाए जाते हैं।

कैसे–कैसा होता है प्रयोग

दक्षिणी एशिया रीजन में बैंगन खूब खाया जाता है। इसे फ्राई कर, भूनकर, उबाल कर खाने में प्रयोग में लाया जाता है। दक्षिण भारत में इसके छोटे–छोटे टुकड़े पीसकर चटनी, करी और चावल के साथ खाया जाता है।

बैंगन के व्यंजन

भुर्ता

बैंगन का भुर्ता तो ज्यादातर लोगों का पसंदीदा व्यंजन है, खासतौर से यह पंजाबियों में काफी खाया जाता है। बैंगन को आग में भूनकर भुर्ता बनाया जाता है। इसे प्याज से फ्राई कर उसमें गाजर, मटर डालकर और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। इसके अलावा पारंपरिक रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कच्चा बैंगन का भी भुरता बनता है। राजस्थान में जब तापमान 50 डिग्री होता है तब धूप में रखकर इसे पकाया जाता है और भुर्ता बनाकर तंदूर की गर्मागर्म रोटी के साथ इसे सर्व किया जाता है।

लंबे बैंगन की आलू के साथ या अकेले सब्जी बनाई जाती है जो चावल के साथ खाने में स्वादिष्ट लगती है। तीसरे प्रकार के बैंगन लंबे लेकिन आकार में छोटे होते हैं। उन्हें बीच से काटकर उसमें मसाला भरकर भरवा सब्जी बनाई जाती है। चौथा प्रकार का सफेद बैंगन होता है। इसे भी सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। हालांकि आजकल बाजारों में हरे रंग के बैंगन भी खूब बिकते हैं। बैंगनों का रंग और आकार भले ही अलग–अलग हो लेकिन सभी में न्यूट्रीशिन वैल्यू समान होते हैं।

किसके लिए है नुकसानदेह

गर्म प्रकृति होने के कारण बवासीर वाले रोगियों को अधिक बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एसिडिटी के शिकार लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए बैंगन नुकसानदेह हो सकता है। बैंगन अधिक खाने से दस्त लग जाते हैं। इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

इसके साथ इसमें डाइटरी फाइबर 4.9 एम.जी., प्रोटीन 1.48 जी., कुल कार्बोहाइड्रेट्स 4 जी पाया जाता है।

(लेखक कृषि पत्रकार हैं)
ई–मेल : pandey_sharad@rediffmail.com

पाठकों / लेखकों से अनुरोध

आप "कुरुक्षेत्र" पत्रिका के नियमित पाठक / लेखक हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि आपके गांव या उसके आसपास आ रहे बदलाव के बारे में सभी लोगों को पता चले। आपके गांव या आसपास जरूर ऐसी कोई महिला / पुरुष या स्वयंसेवी संस्था होगी जिसके बूते पर बदलाव की ब्यार चली हो। सरकारी प्रयासों के चलते भी आपके गांव का कुछ कायापलट तो हुआ ही होगा।

अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो आप उसे अपने शब्दों में लिखकर (फोटो सहित) भेजें। लेख छपने पर उसका उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो (kruti dev font 010) और उसके साथ ई–मेल तथा मौलिकता का प्रमाण पत्र संलग्न हो। हमारा पता है – वरिष्ठ संपादक, कुरूक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655, 'ए' विंग, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011, आप हमें लेख ई–मेल भी कर सकते हैं।

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

खेती की नई इबारत लिखते आदिवासी किसान

रघु शर्मा

आज जब अधिकतर किसान खेती को घाटे का सौदा मानते हैं, लेकिन इन्हीं किसानों के बीच कुछ ऐसे भी किसान हैं, जो निराशा के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। वे परंपरागत खेती के चौपट होने के बाद भी आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनते बल्कि नया रास्ता बनाने पर विचार करते हैं। वे शांत नहीं बैठते बल्कि ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि खेती को कैसे मुनाफेदार बनाया जाए। ऐसे किसानों को सरकार की ओर से भी पूर्ण समर्थन मिलता है और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ऐसे ही एक किसान हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रकमा। इस आदिवासी किसान ने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कभी हार नहीं मानी बल्कि नया प्रयोग किया। परंपरागत खेती से इतर सोच-विचार किया। कुछ नया प्रयोग किया और प्रयोग का लाभ मिलने पर अब सरकारी योजनाओं के जरिए रकमा न सिर्फ अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं बल्कि पासपड़ोस के किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बने हुए हैं।

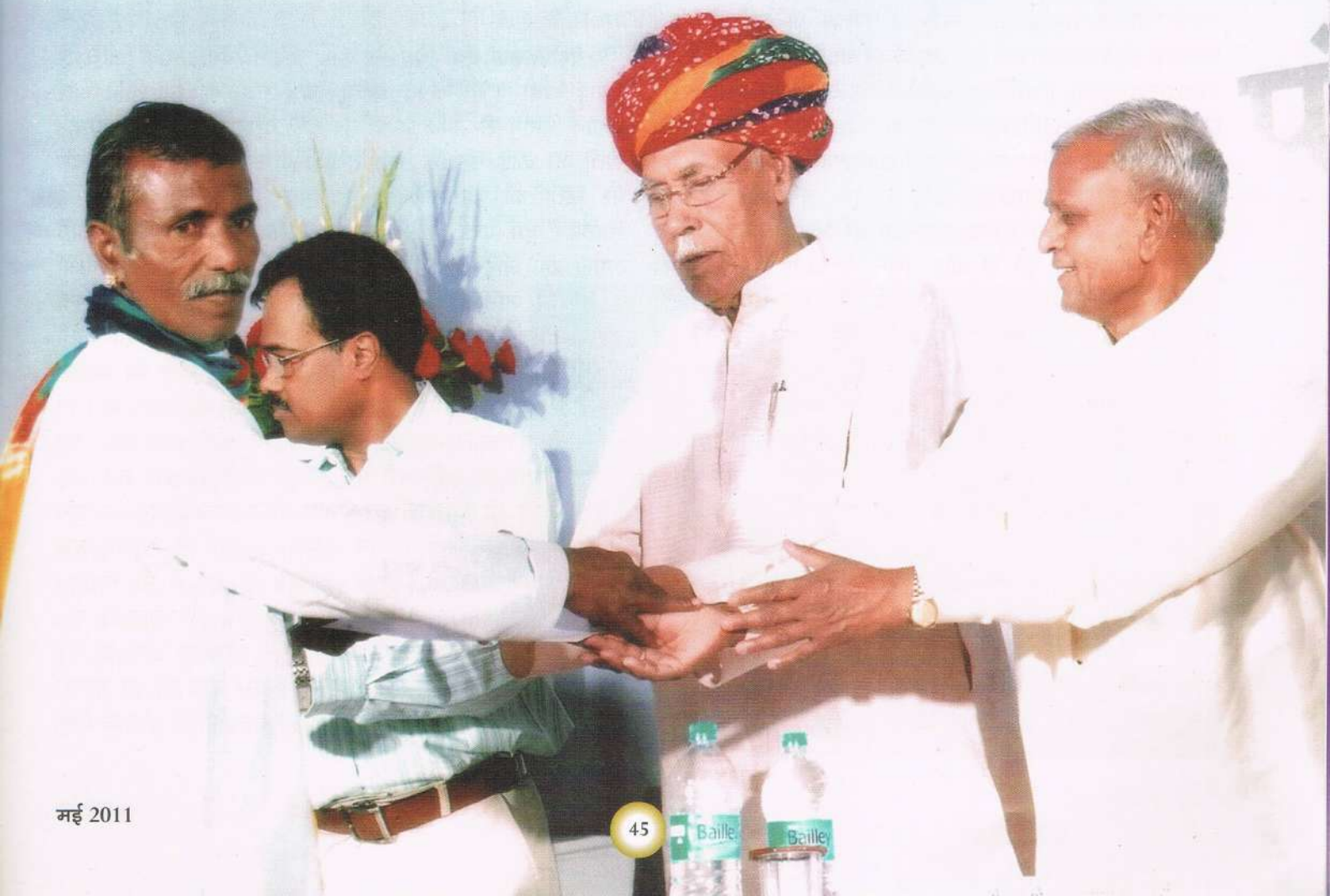

केंद्र एवं राज्य सरकारों के तमाम प्रयास के बाद भी कुछ राज्यों में किसानों के आत्महत्या करने की खबरें आती रहती है। इसके पीछे मूल कारण बताया जाता है कि किसानों का कर्ज में डूबा होना और फसलों के बर्बाद होने से उनमें छाने वाली निराशा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आत्महत्या से बचाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही है। कर्जमाफी से लेकर सबसे सस्ते दर पर ऋण देने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके बाद भी आज जब अधिकतर किसान खेती को घाटे का सौदा मानते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रकमा। इस आदिवासी किसान ने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी कभी हार नहीं मानी बल्कि नया प्रयोग किया। परंपरागत खेती से इतर सोच–विचार किया। कुछ नया प्रयोग किया और प्रयोग का लाभ मिलने पर अब सरकारी योजनाओं के जरिए न सिर्फ अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहा है बल्कि पास पड़ोस के किसानों के लिए प्रेरणास्त्रोत बना हुआ है। रकमा की लगनशीलता को देखते हुए कृषि और उद्यानिकी विभागों की ओर से भी सक्रियता दिखाई जा रही है और निरन्तर जारी गतिविधियों और मार्गदर्शन की वजह से आसपास के किसानों में नगदी फसलों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। इससे गरीब आदिवासी किसानों का भाग्य पलट रहा है और उनके परिवार समृद्धि की डगर पर रफ्तार पा चुके हैं। इस बदलाव से प्रेरणा पाकर पूरे इलाके में आदिवासी किसान भी परम्परागत कृषि के सीमित दायरे में न बंधकर उससे बाहर निकले हैं और खेतीबाड़ी से लेकर पशुपालन तक में नए तौर–तरीकों को अपना रहे हैं। अभी तक जहां राजस्थान के इस सबसे पिछड़े हुए इलाके में खेती से जुड़े लोगों की स्थितियां खराब थीं वहीं अब वे सुविधा संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं।

बात राजस्थान की हो और उसमें भी खेती की तो काफी असहज लगती है क्योंकि राज्य का ज्यादातर हिस्सा बलुई मिट्टी से ढका है। कुछ हिस्से पहाड़ी हैं तो कुछ सिर्फ रेतीले। इन सबके बीच बचे चंद हिस्से में ही खेती की जाती है। ऐसे में यदि यहां के किसान दूसरे राज्यों के किसानों की तरह ही परंपरागत खेती पर ही आश्रित रहे तो उनकी बर्बादी में किसी तरह का संशय नहीं बचता, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान के किसान अब नई इबारत लिख रहे हैं। इन इबारत को लिखने का काम कर रहे हैं बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के रकमा जैसे लोग। रकमा के पास ज्यादा खेत नहीं हैं। सिर्फ तीन हेक्टेयर जमीन है और इस पर वे परंपरागत ढंग से ही खेती करते रहे हैं। रकमा खुद बताते हैं कि परंपरागत खेती करने से सिर्फ इतना ही उत्पादन होता है कि घर का खर्चा किसी तरह चल जाए। खानेभर का अनाज हो जाता था। कुछ अनाज बेच देते थे तो घर–गृहस्थी के लिए अन्य सामान खरीद लाते थे। लेकिन बेहतर जिंदगी जीना एक सपने जैसा था। यदि बच्चों को अच्छे स्कूल में अपने खर्चे पर पढ़ाना हो अथवा भौतिक सुख–सुविधा की चीजें खरीदनी हो तो उधार लेने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। इससे कई बार मन खेती से खिन्न होता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। हमेशा यह सोचता रहता था कि आखिर जिस धरती में एक दाना बोने से सैकड़ों दाने मिलते हैं। फिर इसे दोष कैसे दिया जा सकता है? हमारे खेती करने के तरीके में जरूर कोई खामी है, इसे दूर करना चाहिए। खेती को लेकर एक तरफ अगाध प्रेम था तो दूसरी तरफ आर्थिक जरूरतें। इनके बीच हमें सामंजस्य स्थापित करना था। ऐसी तरकीब ढूंढनी थी कि खेती से दूर भी न होना पड़े और अपनी जरूरतें भी पूरी होती रहे। क्योंकि हमें मिट्टी से, अपने खेतों से और इस पुश्तैनी कारोबार से स्नेह था। जिसे मैं किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहता था। शायह यही वजह है कि खेती को एक सिरे से नकार कर दूसरे काम में नहीं लगा। खेती में परेशानी झेलने के बजाय शहर जाकर दूसरे कामधंधे में जुटने के सवाल पर वह कहते हैं कि मैं भी चाहता तो शहर जाकर कोई काम–धंधा करता और यहां से बेहतर जिंदगी जीता, लेकिन खेती के प्रति जो प्रेम था वह कुछ नया और अलग करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहा।

यही तड़क एक दिन मेरे पांव उद्यान विभाग तक खींच ले गया। खेती करते–करते इतना जान गया था कि कृषि और उद्यान विभाग से संपर्क करने पर कुछ न कुछ हासिल ही होगा। खेती का कोई न कोई नया तरीका जरूर मिलेगा, जिसके दम पर खेती को कम लागत में अधिक मुनाफायुक्त बनाया जा सकेगा। कुछ ऐसा ही सोचते हुए मैं उद्यान विभाग आने–जाने लगा। वहां जाने से कई फायदे हुए। एक तो विभिन्न योजानाओं के बारे में जानकारी मिली। साथ ही अधिकारी यह बताते कि कैसे खेती के जरिए दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। एक खेती के साथ दूसरी खेती कैसे की जा सकती है। खेत को अधिक उपजाऊ कैसे बनाया जा सकता है अथवा खेत में सिंचाई के लिए कौन–सी तकनीकी अपनाई जाए, जिसमें कम पानी खर्च हो। उद्यान विभाग के अधिकारी मेरी जिज्ञासा भी समझने लगे और मेरी जरूरत भी। वे पूरी तल्लीनता से जानकारी देते। उद्यान विभाग के अधिकारियों से मैंने परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग जानकारी मांगी। उनके जोखिम के बारे में भी समझा। विभागीय अधिकारियों ने कई चीजों के बारे में जानकारी दी। किसी ने कहा बागवानी करो तो किसी ने औषधीय खेती के बारे में जानकारी दी। एक फसल में दूसरी फसल कैसे ली जा सकती है, इसके बारे में भी बताया। इस दौरान सरकार की ओर से ऐसी

खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। काफी विचार करने के बाद तय किया कि क्यों न परंपरागत खेती के साथ ही बागवानी भी करूं।

इसी दौरान उद्यान विभाग की ओर से संचालित अन्तर्राज्यीय कृषक भ्रमण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला। मैंने गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। वहां की तकनीक को देखा। बागवानी और औषधीय खेती में जुटे किसानों से बातचीत की। एक–एक पहलू को बारीकी से समझा। खेती करने से लेकर उत्पादन बेचने तक के मन में उठ रहे सवालों के बारे में साथ रहने वाले अधिकारियों से जवाब पाया। इससे मेरा हौंसला और बढ़ा। एक के बाद एक शंकाओं का समाधान होता गया। कृषि विभाग और उद्यान विभाग के अधिकारियों से नजदीकियां और बढ़ती गई। दूसरी तरफ भ्रमण के दौरान उन्नत कृषि तकनीकी अपनाने वाले फार्मों को देखा एवं सुनियोजित कृषि बगीचों को नजदीक से देखने का मौका मिला।

कृषक रकमा बताते हैं कि इस भ्रमण के दौरान जब घर वापस आ रहे थे तभी तय कर लिया कि चाहे उन्हें बागवानी में नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े, लेकिन एक बार जरूर आजमाऊंगा। बस क्या था दृढ़ इच्छाशक्ति लिए और सफलता प्राप्त करने का संकल्प लेकर उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रहे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत बगीचे के लिए आवेदन किया। विभागीय अधिकारियों का पूरा सहयोग मिला और करीब एक हेक्टेयर खेत में आम का बगीचा लगाया। उस समय डर तो लग रहा था, लेकिन इतना भरोसा था कि इस नए प्रयोग में असफल भी हुआ तो भी जो बाकी खेत हैं, उतने से घर की गृहस्थी चलती रहेगी। लेकिन यह भी था कि जिस तरह से अधिकारियों का सहयोग मिल रहा था, उससे हौंसले बुलंद थे। फिर क्या था आम की बागवानी लग गई।

सिंचाई की समस्या से निबटा

आम का बगीचा लगाने के बाद उसकी सिंचाई की समस्या खड़ी हुई। चूंकि हमारे इलाके में पानी की समस्या है। ऐसे में यदि परंपरागत तरीके से नालियों के जरिए सिंचाई की जाती तो क्यारियों के हिसाब से पानी ज्यादा लगता। गर्मी के दिन में सिंचाई करने का मतलब था खेती में लागत बढ़ना। ऐसे में उद्यान विभाग के अधिकारियों की सलाह पर पूरे बगीचे में सूक्ष्म सिंचाई अपनाते हुए ड्रीप संयंत्र की भी स्थापना की। इसके बाद सिंचाई की समस्या खत्म हो गई। ड्रीप संयंत्र के जरिए अन्य तरीके की अपेक्षा आधे से भी कम पानी लगता है। ऐसे में कम पानी और कम लागत में बेहतर सिंचाई होने लगी।

बागवानी भी सब्जी भी

चूंकि आम के पौधे शुरुआती दौर में काफी छोटे रहते हैं, ऐसे में इस बगीचे में पौधे से पौधे के बीच काफी जगह होती है। इस जगह को खाली छोड़ने से घासफूस उगने का खतरा रहता है। ऐसे में उचित दूरी रखते हुए इस खाली जगह पर सब्जी की खेती शुरू करायी। इस तरह एक तरफ बागवानी तैयारी हो रही थी तो दूसरी तरफ सब्जी का उत्पादन भी होता रहा। सब्जी की बिक्री से जो पैसा मिलता उससे बागवानी में आने वाली लागत का काम चलता रहा। इस तरह आर्थिक समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ा।

रासायनिक नहीं जैविक खेती

बगीचे के लिए जब खाद की जरूरत पड़ी तो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया बल्कि जैविक खेती की तकनीक अपनाई। अपने फार्म पर जैविक खेती अपनाते हुए उद्यान विभाग के सहयोग से अनुदानित वर्मी कम्पोस्ट इकाई की भी स्थापना कर डाली। इससे कम लागत में बेहतरीन खाद का भी इंतजाम हो गया।

किसानों को दिखाया नया रास्ता

इस तरह जब एक के बाद एक नया प्रयोग होने लगा तो रकमा के फार्म पर आसपास के किसानों की भीड़ जुटने लगी। लोग यह जानने की कोशिश करते कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है, उसका क्या फायदा होगा। रकमा ने जो महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न इलाके में जाकर सीखा था, उसे अपने इलाके के दूसरे किसानों को भी बताया। इतना ही नहीं उन्होंने किसानों

को अपने खेत पर बुलाकर बताया कि कब सिंचाई करनी है और कब खाद डालना है। इसका असर यह हुआ कि आस पास के तमाम किसान उसे अपना मार्गदर्शक समझने लगे हैं। लोग यहां से जानकारी प्राप्त किए तो उद्यान विभाग भी गए और अब पूरे इलाके के किसान परंपरागत खेती के साथ ही बागवानी, औषधीय पौधों की खेती आदि से जुड़े हुए हैं। इस तरह इस आदिवासी इलाके में खेती की नई इबारत लिखी जा रही है क्योंकि बांसवाड़ा में जहां–जहां के दिनों में तापमान सामान्य 42 डिग्री के आसपास रहता है वहीं सर्दी में न्यूनतम तापमान औसतन तीन डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में फसलों के एक तरफ अधिक पानी की जरूरत पड़ती है तो दूसरी तरफ पाले से नष्ट होने का खतरा रहता है। ऐसे में यहां के किसानों का तकनीकी रूप से समृद्ध होना और परंपरागत खेती के साथ ही बागवानी के प्रति आकर्षित होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

खेत एक उत्पादन अलग–अलग

रकमा किसान के जिस एक हेक्टेयर में आम के बगीचे लगे हैं, उसमें सब्जी की खेती भी होती है। इस तरह एक ही खेत में दो–दो खेती से दुगुना लाभ हो रहा है। रकमा की मानें तो वह गत वर्ष आम की बिक्री से करीब पचास हजार रुपये तक की आय प्राप्त की। इसी प्रकार फल एवं सब्जी उत्पादन से इस एक हेक्टेयर जमीन से लगभग 2 लाख रुपये की आय अर्जित कर रहे हैं। साथ ही अन्य फसलों के उत्पादन में भी उन्नत तकनीकों को अपनाकर अच्छा उत्पादन कर सालाना एक लाख रुपये की आय प्राप्त कर लेते हैं। वह बताते हैं कि वह पहले जहां परम्परागत कृषि से खेती को लेकर परेशान रहते थे वहीं अब उद्यान एवं कृषि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही तकनीकी खेती के जरिए अब अपने परिवार के लिए एक अच्छी आय का स्रोत खड़ा कर लिया है। अकेले खेतीबाड़ी के दम पर वे अपने परिवार का अच्छी तरह पालन–पोषण कर रहे हैं और संतानों को बेहतर शिक्षा भी दिला रहे हैं। हाल के वर्षों में उनका परिवार सम्पन्नता प्राप्त कर चुका है। इससे उत्साहित रकमा अब खेत के दूसरे हिस्से में भी बगीचा लगाने की तैयारी कर रहे हैं।

मिले कई सम्मान

तकनीकी खेती करने से जहां रकमा का पूरा परिवार सुख–सुविधा युक्त हो गया है, उसे अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है वहीं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। तकनीकी खेती की शुरुआत करने की वजह से उनकी पहचान इलाके में प्रगतिशील किसान के रूप में होने लगी। फिर वह ग्राम पंचायत में वार्ड प्रतिनिधि भी बन गए हैं । इतना ही नहीं रकमा की मेहनत और लगन को देखते हुए राज्य सरकार ने गत वर्ष उन्हें जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कृषक सम्मान समारोह में कृषक मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया। इस तरह रकमा की पहचान अब अपने इलाके में आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि तकनीकी रूप से संपन्न किसानों में होती है। रकमा भाई से प्रेरणा पाकर क्षेत्र के आदिवासी किसान भी अब खेतीबाड़ी में नवाचारों को अपनाने लगे हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

हमारे आगामी अंक

जून, 2011 – ग्रामीण भारत में ऋण सुविधा
जुलाई, 2011 – बेहतर कृषि प्रबंधन
अगस्त, 2011 – गांवों में बेहतर प्रशासन
सितंबर, 2011 – ग्रामीण महिला सशक्तिकरण
अक्तूबर, 2011 – (विशेषांक) ग्रामीण भारत में नई पहल

इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास, कृषि, रोजगार व स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी इनमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त विषयों पर सारगर्भित लेख (आम बोलचाल की भाषा में) व फोटो हमें भेजे जा सकते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की तिथि आगामी माह से तीस दिन पूर्व होती है। अतः प्रकाशन सामग्री कम से कम 45 दिन पूर्व हमें मिल जानी चाहिए।

प्रकाशन विभाग की प्रशासनिक सेवाओं पर पुस्तकें

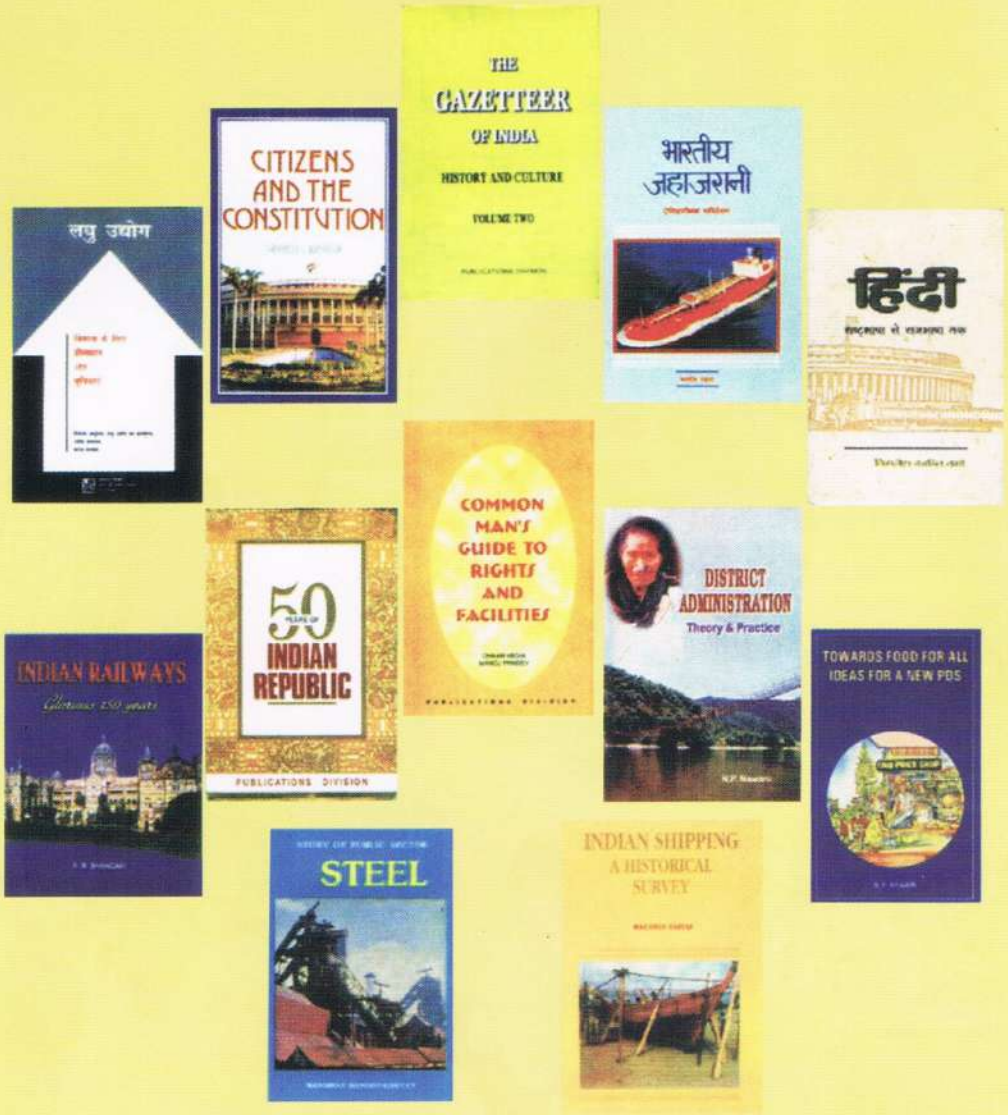

<u>हमारे विक्रय केंद्र:</u>

नई दिल्ली (फोन 24365610, 24367260) दिल्ली (फोन 23890205) कोलकाता (फोन 22488030) नवी मुम्बई (फोन 27570686) चेन्नई (फोन 24917673) तिरुअनंतपुरम (फोन 2330650) हैदराबाद (फोन 24605383) बेंगलूरु (फोन 25537244) पटना (फोन 2683407) लखनऊ (फोन 2325455) गोवाहाटी (फोन 26656090) अहमदाबाद (फोन 26588669)

ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें – www.publicationsdivision.nic.in
e-mail – dpd@sb.nic.in, dpd@hub.nic.in

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

आर. एन. आई./708/57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05/3164/2009–11
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–55/2009–11

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2009-11
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2009-11
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

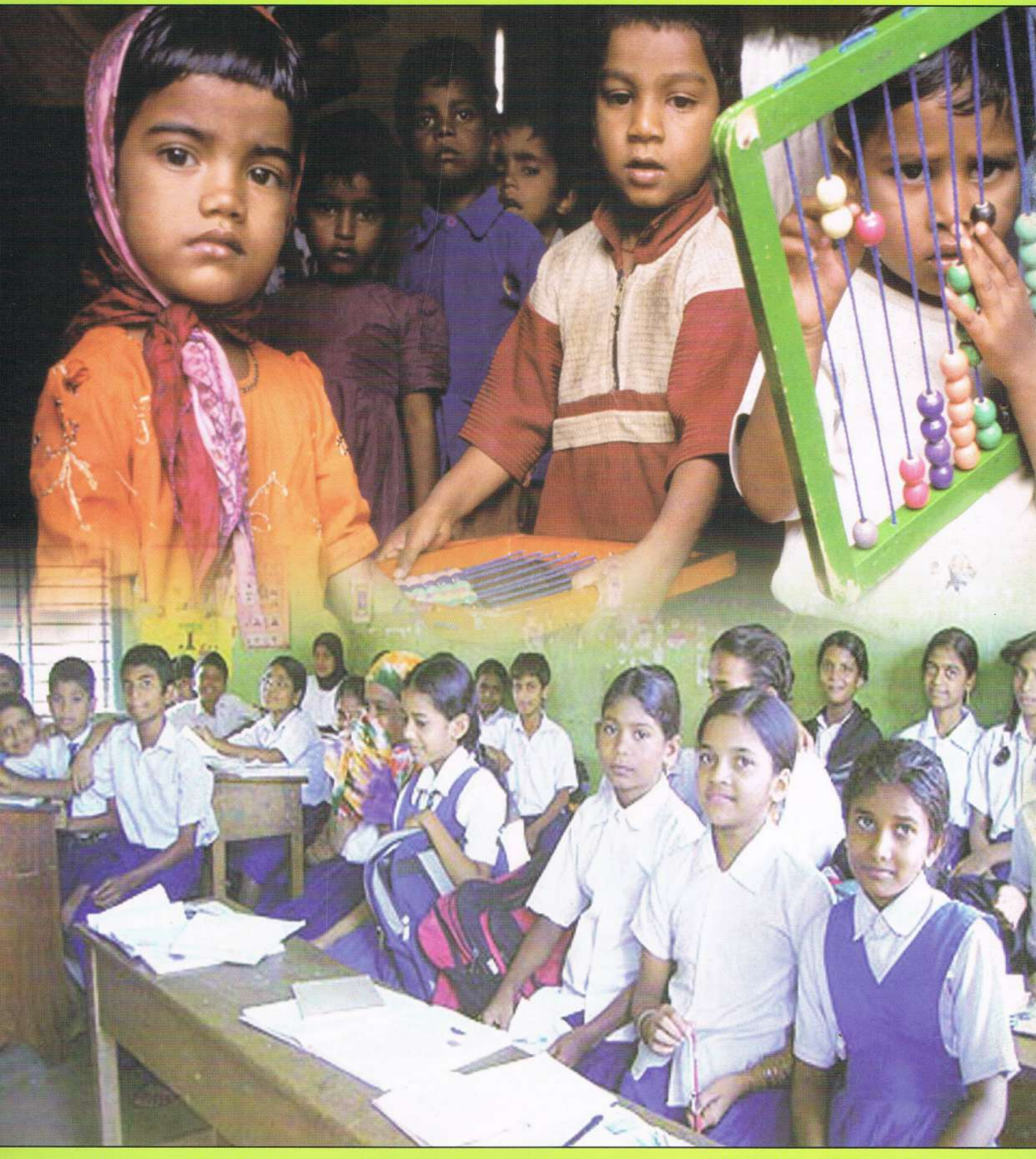

प्रकाशक और मुद्रक : अरविन्द मंजीत सिंह, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : वरिष्ठ संपादक : कैलाश चन्द मीना